SHIVALIK

Shivalik Small Finance Bank

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

संपत्ति पर ऋण | आवास ऋण

ऋण/ओवरड्राफ्ट समझौता

ग्राहक का नाम : _____

खाता नंबर : _____

ऋण/ओवरड्राफ्ट समझौता

यह ऋण/सीमा समझौता _____, इस _____ दिन _____, 20_____ को और के बीच किया गया ("समझौता"):

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, एक बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, जसोला विहार, दिल्ली -110025 में है और जो अनुसूची । में वर्णित स्थान पर अपनी शाखा के माध्यम से कार्य करती है (जिसे आगे "ऋणदाता" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम भाग की;

और

उधारकर्ता जिसका नाम, पता और विवरण अनुसूची। में दिए गए अनुसार है (जिसे इसके बाद "उधारकर्ता" कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती, जैसा भी लागू हो, शामिल होंगे) दूसरे भाग का।

(ऋणदाता और उधारकर्ता इसके बाद हैंसामूहिक रूप से "पार्टियाँ" और व्यक्तिगत रूप से "पार्टी" के रूप में संदर्भित।)

जबकि:

A) उधारकर्ता ने आवेदन पत्र (इसके बाद परिभाषित) के अनुसार उद्देश्य (इसके बाद परिभाषित) के लिए ऋण/सीमा (इसके बाद परिभाषित) का लाभ उठाने के लिए ऋणदाता से संपर्क किया है।

B) उधारकर्ता ने प्रस्ताव दिया है किऋण/सीमा प्राप्त करने के लिए मुख्य और प्राथमिक साधन के रूप में बंधक दस्तावेज (इसके बाद परिभाषित) को निष्पादित करके संपत्ति (इसके बाद परिभाषित) पर सुरक्षा बनाएं।

C) ऋणकर्ता द्वारा बंधक दस्तावेज को मुख्य एवं प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निष्पादित करने पर सहमति देने पर, ऋणदाता अनुदान देने के लिए सहमत हो जाता है, तथा ऋणकर्ता नीचे वर्णित नियमों एवं शर्तों पर ऋण/सीमा प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है।

D) उधारकर्ता स्वीकार करता है कि स्वामित्व विलेख जमा करना और घोषणा-सह-पुष्टि करनाकामसंपत्ति के संबंध में इस समझौते का एक अभिन्न अंग है।

E) बैंक और ऋणी(यों) के बीच ऋणदाता और ऋणी(यों) के रूप में संबंध इस समझौते की तारीख से शुरू होगा और तब तक बना रहेगा जब तक कि इस समझौते के तहत और इसके अनुसरण में अन्य सभी दस्तावेजों में ऋणी(यों) द्वारा बैंक को देय सभी धनराशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता और बैंक द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर लिया जाता।

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1. परिभाषाएं

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए,जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

(i) **"समझौता"** इसका अर्थ है यह ऋण/सीमा अनुबंध, ऋण/सीमा विवरण सारांश, इस अनुबंध का भाग बनने के लिए वर्तमान या भविष्य में संलग्न अनुलग्नक तथा समय-समय पर इस अनुबंध से वर्तमान या भविष्य में संलग्न कोई अनुलग्नक, प्रदर्श या अन्य परिशिष्ट।

(ii) **"आवेदन फार्म"** करेगाजैसा कि संदर्भ अनुमति दे या अपेक्षित हो, ऋण/सीमा के लिए आवेदन करने और उसका लाभ उठाने के लिए ऋणी/कों द्वारा ऋणदाता को प्रस्तुत किया गया ऋण सुविधा आवेदन पत्र, साथ में प्रारंभिक ऋण सुविधा आवेदन पत्र और ऋणी/कों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऋण/सीमा के संबंध में समय-समय पर दी गई सभी अन्य जानकारी, विवरण, स्पष्टीकरण और घोषणाएं, यदि कोई हों।

(iii) **"उधार लेने वाला"** इसका तात्पर्य संलग्न अनुसूची-। में निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था से होगा।

(iv) **"पार डिफ़ॉल्ट"** इस समझौते के खंड 13.1(एफ) के तहत शब्द को दिया गया अर्थ होगा।

(v) **"प्रभावी तिथि"** इसका मतलब होगाइस समझौते के निष्पादन की तिथि।

(vi) **"नियत तारीख"** का तात्पर्य उस तिथि (तिथियों) से होगा जिस तिथि को बकाया दायित्वों के संबंध में कोई राशि आती है।

(vii) **"मासिक किस्त"** या "ईएमआई" का अर्थ अनुसूची । में निर्दिष्ट प्रत्येक मासिक भुगतान की राशि होगी, जो ऋणदाता को ऋण/सीमा की अवधि में ब्याज सहित ऋण/सीमा चुकाने के लिए भुगतान किया जाना आवश्यक है।

(viii) **"डिफ़ॉल्ट की घटना"** इस समझौते के खंड 13 के तहत वर्णित घटनाओं का उल्लेख किया जाएगा।

(ix) **"ब्याज"** इसका अर्थ खंड 3.1 में दिए गए शब्द के समान होगा।

(x) **"मुख्य तथ्य कथन** या केएफएस" जैसा कि समझौते की अनुसूची । में दिया गया है

(xi) **"ऋण/सीमा"** इसका अर्थ होगा क्रेडिटसुविधाअनुसूची । में निर्दिष्ट राशि तक, इस समझौते की शर्तों के तहत ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दी जाएगी। स्वीकृत ऋण सुविधा सावधि ऋण/सीमा, या ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में हो सकती है, जैसा कि स्वीकृति पत्र और अनुसूची । में विस्तृत रूप से बताया गया है। ओवरड्राफ्ट सुविधा के मामले में, सुविधा परिक्रामी प्रकृति की होगी, जिसके तहत उधारकर्ता स्वीकृत सीमा तक समय-समय पर धन आहरित कर सकता है, पुनर्भुगतान कर सकता है और पुनः आहरित कर सकता है, जो आहरण शक्ति की उपलब्धता और इस अनुबंध के अनुपालन के अधीन होगा।

(xii) **"भौतिक विपरीत प्रभाव"** किसी घटना या परिस्थिति का प्रभाव या परिणाम जो निम्नलिखित है या होने की संभावना है: (ए) उधारकर्ता या किसी व्यक्ति की कार्य करने या करने की क्षमता के प्रतिकूलअनुपालन करनालेन-देन दस्तावेजों के तहत उनके संबंधित दायित्वों के अनुसार उनके किसी भी दायित्व के साथ; या (बी) उधारकर्ता के किसी भी व्यवसाय, संचालन या वित्तीय स्थिति के लिए हानिकारक।

(xiii) **"बंधक दस्तावेज़"** इसका अर्थ होगा स्वामित्व विलेखों के जमा और घोषणा सह पुष्टिकरण को दर्ज करने वाला प्रविष्टि ज्ञापनकामसंपत्ति के संबंध में

(xiv) **"बकाया दायित्व"** इसमें ऋण की बकाया मूल राशि, या ओवरड्राफ्ट के मामले में अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा के अंतर्गत निकाली गई बकाया राशि, ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य सभी शामिल होंगे। ब्याज, सभी शुल्क, लागत, प्रतिबद्धताएं, प्रभार, व्यय, स्टाम्प शुल्क और अन्य सभी राशियां जो ऋणदाता को ऋणदाता द्वारा समझौते और लेनदेन दस्तावेजों के अनुसार देय हैं, साथ ही समझौते के तहत ऋणदाता द्वारा निर्धारित या देय सभी अन्य धनराशियां।

(xv) **"सीमा/अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा"** इसका तात्पर्य इस समझौते के अनुसार बैंक द्वारा दी गई ओवरड्राफ्ट सीमा से है, जिसे बैंक उधारकर्ता को आवंटित कर सकता है और समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

(xvi) **"ओवरड्राफ्ट सुविधा"** इसका अर्थ है एक निश्चित सीमा तक स्वीकृत परिक्रामी ऋण सुविधा

(xvii) **"ड्रॉइंग पावर"** इसका अर्थ है उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं के पास निकासी के लिए उपलब्ध सीमा

(xviii) **"व्यक्ति"** इसमें व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनी, संघ शामिल होंगेव्यक्तियोंआयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उल्लिखित और निर्धारित स्वामित्व चिंता, सीमित देयता भागीदारी और सहकारी समिति।

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____

सह-उधारकर्ता(ओं) हस्ताक्षर_____

(xix) **"संपत्ति"** का अर्थ है आवासीय/वाणिज्यिक अचल संपत्ति, या जैसा कि आवेदन पत्र में वर्णित है, जो स्वामित्व में है/संयुक्त रूप से स्वामित्व में हैउधार लेने वालाइसमें वह अचल संपत्ति भी शामिल मानी जाएगी जिसकी सुरक्षा पर ऋणदाता ने ऋण/सीमा अग्रिम देने पर सहमति व्यक्त की है।

उपरोक्त की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

"संपत्ति" में यह भी शामिल होगा:

a) यदिकिसी भवन के भाग का, संपूर्ण निर्मित क्षेत्र (और उसमें कोई भी वृद्धि), भवन के सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा और उस भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा जिस पर उक्त भवन स्थित है या बनाया जा रहा है/बनाया जाएगा; या

b) फ्लैट के मामले में, संपूर्ण निर्मित क्षेत्र (और उसमें कोई भी वृद्धि), उस भवन के सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा जिसमें ऐसा फ्लैट स्थित है/होगा और उस भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा जिस पर उक्त भवन स्थित है या बनाया जा रहा है/बनाया जाएगा; या

c) स्वतंत्र संरचना के मामले में, संरचना और भूमि का संपूर्ण भूखंड जिस पर संरचना स्थित है या बनाई जा रही है/बनाई जाएगी; या

d) व्यक्तिगत मकान के मामले में, मकान और भूमि का सम्पूर्ण भूखण्ड जिस पर मकान बनाया जाएगा।

(xx) **"उद्देश्य"** इस समझौते के खंड 2.2 में निर्दिष्ट शब्द का अर्थ होगा।

(xxi) **"आरबीआई"** इसका तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक से है।

(xxii) **"प्रतिभूतियाँ"** इसका तात्पर्य लेनदेन दस्तावेजों की शर्तों के तहत बनाई गई/बनाई जाने वाली सुरक्षा/शुल्क से होगा।

(xxiii) **"लेन-देनदस्तावेज़"** इसमें ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऋण/सीमा के संबंध में या उससे संबंधित निष्पादित या किए जाने वाले सभी लेख और अन्य दस्तावेज तथा समय-समय पर संशोधित प्रत्येक लेनदेन दस्तावेज शामिल होंगे।

1.2. व्याख्या

(i) शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं और इस समझौते के अर्थ या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

(ii) इस अनुबंध में जब भी "शामिल" या "सहित" शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो उनके बाद "बिना किसी सीमा के" शब्द प्रयुक्त माने जाएँगे। किसी खंड संख्या के प्रत्येक संदर्भ में उसके सभी उप-अनुच्छेद और उप-धाराएँ शामिल होंगी।

(iii) इस समझौते के सभी नियमों और शर्तों की व्याख्या इसके लिखित नियमों के अनुसार की जाएगी; और यदि नियम या शर्त अस्पष्ट हो, तो पक्षों की मंशा के अनुसार की जाएगी।

(iv) इस समझौते या किसी अन्य दस्तावेज के संदर्भ में उनमें से किसी में भी कोई परिवर्तन, नवीकरण या प्रतिस्थापन शामिल है।

(v) खंडों, अनुसूचियों और अनुलग्नकों के संदर्भ इस अनुबंध के खंडों, अनुसूचियों और अनुलग्नकों के संदर्भ हैं।

(vi) संदर्भकिसी क़ानून के संदर्भ में ऐसे क़ानून के तहत या उसके अनुसरण में बनाए गए विनियमों, नियमों, आदेशों, नोटिसों या अभ्यास संहिताओं के संदर्भ शामिल हैं, और किसी क़ानून या विनियमन के संदर्भ में ऐसे क़ानून के संदर्भ शामिल हैंउस क़ानून या विनियमन में सभी संशोधनों (चाहे बाद के क़ानून द्वारा या अन्यथा) और उस क़ानून या विनियमन के प्रतिस्थापन में पारित क़ानून या विनियमन के संदर्भों के लिए।

(vii) किसी भी घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य, सूचना, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, कार्य, चूक, दावे, उल्लंघन, चूक या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता, उचितता या घटना के संबंध में ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता की राय, पूर्वोक्त में से किसी की भौतिकता, उचितता या घटना के संबंध में अंतिम और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

2.ऋण/सीमा

2.1. आवेदन पत्र में उधारकर्ता द्वारा दिए गए कथनों और अभ्यावेदनों पर भरोसा करते हुए, ऋणदाता उधारकर्ता को उपलब्ध कराने के लिए सहमत होता है और उधारकर्ता इस अनुबंध में उल्लिखित तरीके और शर्तों पर ऋणदाता से संलग्न अनुसूची I में उल्लिखित ऋण/सीमा प्राप्त करने के लिए सहमत होता है।

2.2. ऋण/सीमा अनुसूची I में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए दी जाती है इसके लिए ("उद्देश्य")।

2.3. बैंक, उधारकर्ता(ओं) के अनुरोध, अभ्यावेदन, वारंटियों, अनुबंधों और वचनबद्धताओं के आधार पर, जैसा कि यहां और सीमा के लिए आवेदन में निहित है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा सीमा के संबंध में निष्पादित या प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उधारकर्ता(ओं) को उधार देने के लिए सहमत है और उधारकर्ता इस समझौते और अनुसूची I में पूरी तरह से निहित नियमों और शर्तों पर बैंक से सीमा उधार लेने के लिए सहमत है।

2.4. बैंक, उधारकर्ता के अनुरोध पर, अपने पूर्ण विवेक से, ओवरड्राफ्ट सीमा और/या, जैसा भी मामला हो, परिचालन सीमा को ऐसे अतिरिक्त नियमों और शर्तों के अधीन बढ़ा सकता है, जिन्हें बैंक उचित समझे, जिसमें बिना किसी सीमा के, उधारकर्ता के ऋण का पुनर्मूल्यांकन भी शामिल है।

2.5. उधारकर्ता एतद्द्वारा ऋण/सीमा का उपयोग केवल अनुसूची I में उल्लिखित उद्देश्य के लिए करने के लिए सहमत है।

2.6. बैंक, उधारकर्ता के अनुरोध पर, अपने पूर्ण विवेक से, ओवरड्राफ्ट सीमा और/या, जैसा भी मामला हो, परिचालन सीमा को ऐसे अतिरिक्त नियमों और शर्तों के अधीन बढ़ा सकता है, जिन्हें बैंक उचित समझे, जिसमें बिना किसी सीमा के, उधारकर्ता के ऋण का पुनर्मूल्यांकन भी शामिल है।

2.बी ओवरड्राफ्ट खाते के संचालन का तरीका

2.7. जब तक कि ऋणी और बैंक के बीच अन्यथा सहमति न हो, बैंक ऋणी के ओवरड्राफ्ट खाते में एकमुश्त सीमा जमा करेगा।

2.8. उधारकर्ता को स्वीकृत सीमा की सीमा तक चेक या अन्य निकासी विधियों द्वारा सीमा निकालने की सुविधा होगी।

2.9. यह समझा जाता है कि संवितरण से संबंधित शुल्क (इस तरह के भुगतान आदेश या डिमांड ड्राफ्ट पर लाभार्थी द्वारा जारी करने या आय के संग्रह के लिए शुल्क सहित) उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

2.10. बैंक किसी भी समय सीमा के अंतर्गत कोई भी राशि वितरित नहीं कर सकता है, जब तक कि बैंक के पूर्ण विवेकानुसार निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन न किया जाए:

2.11. ऋण दस्तावेज विधिवत निष्पादित किए जाते हैं और उधारकर्ता द्वारा बैंक को सौंप दिए जाते हैं;

2.12. उधारकर्ता(ओं) ने बैंक को संपत्ति पर अपने स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व के बारे में आश्वस्त किया है;

2.13. कोई अन्य दस्तावेज या लेखन जिसकी बैंक को अपने विवेकानुसार आवश्यकता हो।

2.14. उपयुक्त प्राधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमोदन और अनुमति प्राप्त करना, जिसमें निगमों से अनुमोदन और प्रमाण पत्र शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

2.15. बैंक किसी भी राशि का वितरण करने के बाद, सीमा के अंतर्गत कोई और राशि वितरित नहीं कर सकता है, जब तक कि आगे वितरण से पहले बैंक के पूर्ण विवेक से निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन न किया जाए:

i. चूक की कोई घटना घटित नहीं हुई होगी;

ii) उधारकर्ता को पूर्व संवितरण के उपयोग का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा;

iii) उधारकर्ता को बैंक के पक्ष में बैंक द्वारा अपेक्षित बीमा पॉलिसी (पॉलिसियां) सौंपनी होगी;

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____

सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

iv) ऋणी को बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर अपने आवधिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होंगे।

v) ऋणी को बैंक द्वारा अपने विवेकानुसार अपेक्षित सभी या कोई अन्य दस्तावेज या लेख प्रस्तुत करना होगा, जो ऋणी पर बाध्यकारी होगा।

2.16. उधारकर्ता बैंक को मांग के अनुसार तथा अनुसूची-I के अनुसार राशि वापस करेगा।

2.17. उपरोक्त या इस अनुबंध में अन्यत्र कही गई किसी भी विपरीत बात के बावजूद, बैंक उधारकर्ता को दी गई ओवरड्राफ्ट सुविधा की वार्षिक आधार पर समीक्षा करने का हकदार होगा ("समीक्षा")। बैंक द्वारा उक्त खाते की समीक्षा में उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मार्जिन के संबंध में बैंक की मार्जिन आवश्यकताओं, बैंक की नीति के अनुसार गणना की गई प्रतिभूति का मूल्य, उधारकर्ता की नवीनतम वित्तीय स्थिति और/या बैंक द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले अन्य कारकों और/या दस्तावेजों की समीक्षा शामिल हो सकती है। ऐसी समीक्षा के लिए, उधारकर्ता को बैंक को ऐसे सभी विवरण और विवरण प्रस्तुत करने होंगे जिनकी बैंक को ऐसी समीक्षा से कम से कम एक महीने पहले आवश्यकता हो। ऐसी समीक्षा के बाद, बैंक अपने पूर्ण विवेक से, ओवरड्राफ्ट सुविधा को बंद कर सकता है और बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग कर सकता है या ऐसी शर्तों के अधीन ओवरड्राफ्ट सुविधा को जारी रखने की अनुमति दे सकता है, जिसमें पूर्वोक्त अवधि और/या परिचालन सीमाओं में संशोधन शामिल है, जैसा कि बैंक उधारकर्ता को बिना किसी सूचना के उचित समझे, और उधारकर्ता हर समय (और विशेष रूप से भुगतान के लिए कोई भी चेक प्रस्तुत करने से पहले) परिचालन सीमा और समय-समय पर बदलती बैंक की मार्जिन आवश्यकताओं के बारे में स्वयं को सूचित रखने के लिए सहमत होता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा। यदि पूर्वोक्त समीक्षा के परिणामस्वरूप परिचालन सीमा में संशोधन होता है या ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि में अन्यथा संशोधन होता है, तो बैंक उधारकर्ता को ओवरड्राफ्ट सुविधा की संशोधित शर्तों के बारे में सूचित करेगा। उधारकर्ता एतद्द्वारा बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे पत्रों/संचार से सहमत होता है और बाध्य होने का वचन देता है। यदि उधारकर्ता ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ लेना जारी नहीं रखना चाहता है, तो उधारकर्ता को बैंक को कम से कम 30 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी।

3. ब्याज

3.1. उधारकर्ता से ऋण/सीमा के वितरण की तिथि से अनुसूची I में निर्दिष्ट दर पर ऋण/सीमा पर ब्याज लिया जाएगा ("ब्याज")।

3.2. सावधि ऋण के मामले में, ब्याज की गणना बकाया मूलधन पर की जाएगी तथा इसे निर्दिष्ट आवृत्ति जैसे मासिक/तिमाही पर देय होगा।

3.3. ओवरड्राफ्ट की स्थिति में, उधारकर्ता को उक्त खाते में औसत मासिक बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा। प्रत्येक माह के ब्याज को एकत्रित किया जाएगा और प्रत्येक संबंधित माह के अंत में उक्त खाते से डेबिट किया जाएगा और इसे ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत एक और निकासी माना जाएगा और तदनुसार ब्याज के अधीन होगा। पूर्वोक्त के बावजूद, प्रत्येक माह के अंत में उक्त खाते से डेबिट की गई ब्याज की राशि उधारकर्ता द्वारा निर्धारित देय तिथि से पहले उक्त खाते में डेबिट किए गए ब्याज के बराबर राशि जमा करके चुकाई जाएगी। यदि उधारकर्ता परिचालन सीमा से अधिक धनराशि निकालकर ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग करता है, तो उधारकर्ता परिचालन सीमा से अधिक निकाली गई या उपयोग की गई राशि को तुरंत बैंक को चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा, ऐसा न करने पर उधारकर्ता, पूर्वोक्त ब्याज के अतिरिक्त, अनुसूची I में निर्दिष्ट दर पर बकाया संपूर्ण राशि पर स्थानापन्न ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3.4. शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अपने विवेकानुसार बाद में बंधक ऋणों के लिए रीसेट आवृत्ति को बदल सकता है।

3.5. अस्थिर ब्याज दर: ऋणदाता, ऋण/सीमा की अवधि के दौरान, अपनी नीति, बाज़ार स्थितियों और/या लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार, अपने विवेकानुसार, किसी भी समय और समय-समय पर ब्याज दर में संशोधन करने का हकदार होगा। ऋणदाता, ऋणी को ब्याज दर में परिवर्तन के बारे में यथासमय सूचित करेगा।

3.6. निश्चित ब्याज दर: यदि उधारकर्ता निश्चित ब्याज दर का विकल्प चुनता है, तो इस अनुबंध के निष्पादन की तिथि पर ऋण/सीमा पर लागू ब्याज दर, केएफएस में निर्दिष्ट अवधि तक निश्चित रहेगी।

3.7. ऋणी एतद्द्वारा स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि ब्याज के भुगतान के लिए उपयुक्त विधि तैयार करने के लिए, बैंक ने एक उचित और उचित आधार अपनाया है और ऋणी इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित ओवरड्राफ्ट सुविधा को चुकाने के लिए सहमत है।

3.8. सीमा पर ब्याज, बैंक द्वारा सीमा के संवितरण के साथ ही ऋण खाते में डेबिट की तारीख से अर्जित होना शुरू हो जाएगा तथा महीने के अंतिम दिन ऋण खाते से वसूल किया जाएगा।

3.9. सावधि ऋण पर ब्याज की गणना इस आधार पर की जाएगीअनुसूची I में उल्लिखित ऋण/सीमा के लिए ब्याज दर और मासिक आधार पर गणना की गई अगली रुपये तक पूर्णांकित की गई राशि और किसी भी अन्य शुल्क की गणना 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों के वर्ष या लीप वर्ष (तीन सौ छियासठ) में 366 दिनों के आधार पर या मानक बैंकिंग अभ्यास के अनुसार उस वर्ष में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाएगी।

3.10. सीमा पर ब्याज की गणना की जाएगी और उसे ऋण खाते में डेबिट किया जाएगा -

(i) अनुसूची I में बताए गए अंतराल पर

(ii) वर्ष में 365 या 366 (लीप वर्ष के मामले में) दिनों के आधार पर

(iii) अनुसूची-I में विशेष रूप से वर्णित ब्याज दर पर या बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दर पर।

(iv) दिन के अंत में बकाया वास्तविक राशि पर।

(v) ऋण खाते में डेबिट की तारीख से ब्याज हर महीने देय होगा।

3.11. हालाँकि, यदि उधारकर्ता ऋण/सीमा को बंद करने का इरादा रखता है, तो ब्याज की गणना वास्तविक बंदोबस्ती की तारीख तक की जाएगी।

3.12. यदि उधारकर्ता अपनी ब्याज दर में परिवर्तन करना चाहता है, चाहे वह पहले से चुने गए किसी विशेष प्रकार के ब्याज से किसी अन्य प्रकार की ब्याज दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो, या अन्यथा, उधारकर्ता ऐसा कर सकता है यदि बैंक द्वारा उस समय इसकी अनुमति दी जाए और बैंक द्वारा अपेक्षित पूरक दस्तावेज़ों के निष्पादन पर, और समय-समय पर लागू परिवर्तन शुल्क का भुगतान करके, जिसे बकाया राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उधारकर्ता द्वारा किसी विशेष प्रकार के ब्याज से किसी अन्य प्रकार की ब्याज दर में परिवर्तन केवल तत्काल अगली तिमाही से प्रभावी होगा।

3.13. भुगतान में चूक की गई सभी राशियां (अर्थात बैंक को देय होने पर उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं की गई) जिसमें ऋण खाते में डेबिट की गई लागत, प्रभार और व्यय शामिल हैं, पर ऐसे संशोधन के लिए कोई कारण बताए बिना ही अतिदेय प्रभार लगेंगे और उसके बाद अनुसूची I के अनुसार संशोधित दर(दरों) पर ब्याज और अतिदेय प्रभार अर्जित होंगे।

3.14. ऋणी द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा के पुनर्भुगतान से संबंधित प्रावधानों सहित,

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर_____

यहाँ निहित किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन करने पर, ऋणी से नीचे दी गई अनुसूची । में उल्लिखित दर पर संपूर्ण देय राशि (जो देय है और जिसका भुगतान नहीं किया गया है) पर अतिदेय शुल्क लिया जाएगा, जो संबंधित देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान/चूक के सुधार की तिथि तक देय होगा। यह बैंक के अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानापन्न ब्याज का भुगतान करने का दायित्व ऋणी को यह दावा करने का अधिकार नहीं देगा कि नीचे उल्लिखित चूक की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

4. संवितरण का विवरण

4.1 ऋणदाता ऋण/सीमा का वितरण एकमुश्त या उपयुक्त किश्तों/किश्तों में करेगा, जैसा कि उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा।

4.2 संवितरण का तरीका और ढंग ऋणदाता/बैंक के पूर्ण विवेक पर छोड़ दिया गया है।

4.3 ब्याज ऋण/सीमा पर ब्याज ऋणदाता के पक्ष में ऋण/सीमा के वितरण की तिथि से अर्जित होना शुरू हो जाएगा।

4.4 इस समझौते के तहत ऋण लेने का ऋणी का अधिकार अनुसूची । में निर्दिष्ट ऋण/सीमा की वैधता अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। ऋणदाता ऋणी को नोटिस देकर ऋण/सीमा के आगे के संवितरण को निलंबित या रद्द कर सकता है, यदि ऋण/सीमा अनुसूची । (जैसा लागू हो) में निर्दिष्ट वैधता अवधि या ऋणदाता द्वारा तय की गई अन्य अवधि के भीतर पूरी तरह से नहीं निकाली गई हो।

4.5 यदि ऋणदाता को ऋणदाता द्वारा कोई धनराशि बकाया है और भुगतान योग्य है, चाहे इस समझौते के तहत, या किसी अन्य लेनदेन दस्तावेज़ के तहत या अन्यथा, ऋणदाता अपने विवेकाधिकार से ऋण/सीमा की राशि की उपलब्धता को कम कर सकता है और/या ऋण/सीमा के विरुद्ध ऐसी धनराशि को समायोजित कर सकता है और ऐसे सभी समायोजनों को ऋणदाता द्वारा संवितरण/पुनर्भुगतान के रूप में माना जाएगा।

4.6 संवितरण से संबंधित किसी भी मामले में ऋणदाता का निर्णय अंतिम, निर्णायक और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

5. चुकौती

5.1 उधारकर्ता को बिना किसी आपत्ति, विरोध या चूक के, और बिना किसी सेट-ऑफ या प्रतिदावे के, संबंधित देय तिथियों पर ईएमआई और अन्य सभी बकाया दायित्वों का पूरा भुगतान करना होगा। उधारकर्ता को संबंधित देय तिथियों पर बकाया दायित्वों का शीघ्र और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के उसके दायित्व और उत्तरदायित्व के बारे में कोई नोटिस, अनुस्मारक या सूचना नहीं दी जाएगी।

5.2 बकाया राशि का पुनर्भुगतानलेन-देन दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता के प्रति दायित्व निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से देय होंगे:

(i) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंगआरबीआई द्वारा अधिसूचित प्रणाली;

(ii) स्थायी निर्देश विवरणजिनका उल्लेख अनुसूची । में ऋणदाता के पास उधारकर्ता के खाते से सीधे डेबिट के लिए किया गया है।

(iii) समझौते की अनुसूची । में निर्दिष्ट कोई अन्य तरीका

5.3 ऋणदाता को किसी भी समय बकाया दायित्वों की पुनर्भुगतान शर्तों की समीक्षा करने और उन्हें पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा, उस तरीके से और उस सीमा तक जैसा ऋणदाता अपने विवेकानुसार तय करे। ऐसी स्थिति में, ऋणी को ऋणी द्वारा लिखित रूप में ऋणी को सूचित की गई संशोधित अनुसूची के अनुसार बकाया दायित्वों का भुगतान करना होगा।

5.4 देय तिथि (तिथियों) या ईएमआई की राशि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में या यदि ऋणदाता को ऐसे जारी डेबिट निर्देश प्रस्तुत करने में किसी भी कारण से कोई कठिनाई/असुविधा/बाधा का सामना करना पड़ रहा हो या ऋणदाता द्वारा किसी भी समय अपने विवेकानुसार ऐसा अपेक्षित हो, तो ऋणदाता की संतुष्टि के लिए ऋणदाता को तत्काल अधिदेश, समझौते और/या अन्य दस्तावेजों को बदलना होगा और उसके स्थान पर नए अधिदेश, समझौते और/या अन्य दस्तावेज जारी करने होंगे।

5.5 आवेदन पत्र में उधारकर्ता द्वारा चुने गए भुगतान/पुनर्भुगतान के तरीके के बावजूद, ऋणदाता, जैसा भी उचित और आवश्यक समझे, आरबीआई की इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से, स्वयं या इसके लिए अनुमति प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से ईएमआई और बकाया दायित्वों से संबंधित अन्य सभी राशियों के भुगतान और/या संग्रह की मांग करने का हकदार होगा।

5.6 ऋणदाता अपने विवेकानुसार, उधारकर्ता को भुगतान का कोई वैकल्पिक तरीका अपनाने या उसमें बदलाव करने के लिए कह सकता है और उधारकर्ता को बिना किसी आपत्ति या देरी के ऐसे अनुरोध का अनुपालन करना होगा।

5.7 इस अनुबंध में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, बैंक द्वारा सीमा की अवधि के दौरान किसी भी समय उधारकर्ता को लिखित रूप में 7 (सात) स्पष्ट कार्यदिवसों का नोटिस देकर की गई मांग पर सीमा का पुनर्भुगतान किया जा सकेगा। नोटिस की अवधि समाप्त होने पर, ओवरड्राफ्ट सुविधा उधारकर्ता द्वारा बैंक को तुरंत पुनर्भुगतान योग्य हो जाएगी।

5.8 यदि ऊपर बताए अनुसार पहले मांग नहीं की गई है, तो ऋणी द्वारा बैंक को सीमा की अदायगी (मूलधन, उस पर ब्याज और इस समझौते के अनुसार ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई अन्य शुल्क, प्रीमियम, फीस, कर या अन्य बकाया सहित) को सीमा की अवधि में आगे बताए गए तरीके से फैलाया जाना चाहिए।

5.9 सेट ऑफ - ऊपर बताई गई बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋण लेने वाला स्पष्ट रूप से सहमत और पुष्टि करता है कि ऋणी द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा या किसी अन्य ऋण/सीमा/सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, किसी सामान्य या समान ग्रहणाधिकार के अतिरिक्त, जिसका बैंक या उसकी कोई सहायक/संबद्ध संस्था कानून द्वारा हकदार हो सकती है, बैंक, ऋणी के साथ किसी अन्य समझौते के तहत अपने किसी विशिष्ट अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकाधिकार से और ऋणी को सूचना दिए बिना, ऋणी के किसी भी खाते (सावधि जमा खाते सहित) में (चाहे अकेले या किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से) बैंक या उसकी किसी सहायक/संबद्ध संस्था के पास ऋणी के खाते में जमा किसी अन्य धनराशि या राशि को बकाया राशि के भुगतान में लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। इस समझौते के तहत बैंक के अधिकार अन्य अधिकारों और उपायों (बिना किसी सीमा के अन्य अधिकार या सेट ऑफ सहित) के अतिरिक्त हैं, जो बैंक के पास हो सकते हैं।

5.10 टर्मिनल लाभ - यदि उधारकर्ता कोई सेवानिवृत्ति योजना चुनता है या अपने नियोक्ता से कोई प्रस्ताव स्वीकार करता है जो सेवानिवृत्ति से पहले नौकरी से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने पर या नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से उसकी नौकरी समाप्त करने पर या उधारकर्ता द्वारा किसी भी कारण से नियोक्ता की सेवा से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने पर कोई लाभ प्रदान करता है, तो संपूर्ण बकाया राशि उधारकर्ता द्वारा बैंक को तुरंत देय होगी। ऐसे मामले में, बकाया राशि का भुगतान नियोक्ता से ऐसी योजना या प्रस्ताव या किसी टर्मिनल लाभ के तहत उसके द्वारा प्राप्त राशि या राशियों से किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो। हालांकि, उक्त राशि या राशियां बैंक को पूरी तरह से चुकाने के लिए अपर्याप्त होने की स्थिति में, बैंक को देय शेष अवैतनिक राशि उधारकर्ता द्वारा तुरंत भुगतान की जाएगी। उधारकर्ता एतद्द्वारा बैंक को उधारकर्ता के नियोक्ता से सीधे संपर्क करने और उक्त राशि प्राप्त करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है।

6. ऋण/सीमा का पूर्व भुगतान

6.1 ऋणदाता, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से और पूर्व-भुगतान शुल्क आदि के संबंध में, जैसा कि वह निर्धारित करे, ईएमआई के पूर्व-भुगतान/तेजी की अनुमति दे सकता है। यदि ऋणदाता द्वारा अनुमति दी जाती है, तो उधारकर्ता को

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

ऋण/सीमा की पूरी राशि का पूर्व-भुगतान करने के अपने इरादे की पूर्व लिखित सूचना देनी होगी और अनुसूची । में उल्लिखित पूर्व-भुगतान शुल्क, जो लागू हों और ऋणदाता द्वारा समय-समय पर बदले जा सकें, ऋणदाता को चुकाने होंगे।

6.2 यदि उधारकर्ता सभी बकाया राशि का भुगतान करके तथा इस ओवरड्राफ्ट सुविधा अनुबंध को समाप्त करके ओवरड्राफ्ट सुविधा को समय से पूर्व बंद करना चाहता है, तो उधारकर्ता अनुसूची । में दर्शाए गए परिचालन सीमा के प्रतिशत के अनुसार बैंक को समय से पूर्व बंद करने के प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. स्थितियाँसंवितरण के लिए मिसाल

7.1 निम्नलिखितऋण/सीमा या उसके किसी भी भाग के वितरण के लिए पूर्व शर्तें होंगी:

(i) प्रथम संवितरण से पहले, धारा 8 में वर्णित सुरक्षा का सृजन किया जाना चाहिए था।

(ii) किसी भी प्रकार की चूक या क्रॉस डिफॉल्ट या भौतिक प्रतिकूल प्रभाव की घटना नहीं घटित होगी।

(iii) ऋण/सीमा या उसके किसी भाग के संवितरण के लिए अनुरोध के समय, उधारकर्ता को ऋण/सीमा या उसके किसी भाग के संवितरण की आय के प्रस्तावित उपयोग का ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा जो ऋणदाता के लिए संतोषजनक हो, तथा जब भी ऋणदाता द्वारा इसकी मांग की जाए, तो यह साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण/सीमा का उपयोग केवल उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा।

(iv) ऐसी कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए जिससे उधारकर्ता के लिए इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव हो जाए।

(v) उधारकर्ता को सभी लेन-देन दस्तावेज़ निष्पादित और वितरित करने होंगे।

(vi) उधारकर्ता बैंक की ऋण-योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। बैंक, उधारकर्ता की ऋण-योग्यता का आकलन करने के लिए, जैसा उचित समझे, पूछताछ करने या करवाने का हकदार होगा।

(vii) उधारकर्ता को बैंक को उसके विरुद्ध शुरू की गई किसी भी कार्रवाई, मुकदमे की कार्यवाही, समापन/दिवालियापन कार्यवाही या लंबित जांच के बारे में बताना होगा।

(viii) बैंक को किसी भी संवितरण के समय इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि यह अनुसूची । में उल्लिखित उद्देश्य के लिए आवश्यक है और जैसा कि उधारकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और उधारकर्ता ओवरड्राफ्ट सुविधा के संवितरण की आय के प्रस्तावित उपयोग के बारे में बैंक को संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त करेगा।

(ix) उधारकर्ता को बैंक को किसी भी पूर्व संवितरण की आय के उधारकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में संतुष्ट करना होगा, यदि कोई हो

8. सुरक्षा

8.1 उधारकर्ता इस बात से सहमत है तथा वचनबद्ध है कि ऋणदाता का संपत्ति पर प्रथम तथा अनन्य प्रभार होगा तथा उधारकर्ता, ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी अन्य व्यक्ति या निकाय के पक्ष में संपत्ति पर कोई अन्य भार, प्रभार या सुरक्षा हित नहीं बनाएगा।

8.2 यदि किसी प्रतिभूति का मूल्य अपर्याप्त/गलत पाया जाता है, तो उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा।

8.3 ऋण/सीमा के संबंध में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को प्रदान की गई प्रतिभूतियाँ विधिवत रूप से पूर्ण की जाएंगी तथा ऋणदाता के लिए सतत प्रतिभूतियों के रूप में बनी रहेंगी तथा वे उधारकर्ता पर बाध्यकारी होंगी।

8.4 उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि उधारकर्ता द्वारा मध्यवर्ती भुगतान या उधारकर्ता द्वारा खातों के किसी भी निपटान द्वारा प्रतिभूतियों का निर्वहन/रिलीज़ तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बकाया दायित्वों का ऋणदाता की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दिया जाता है और ऋणदाता उधारकर्ता को लिखित रूप में प्रतिभूतियों के संबंध में निर्वहन/रिलीज़ देने के लिए सहमति नहीं देता है।

8.5 प्रतिभूतियाँ किसी अन्य प्रतिभूति के अतिरिक्त होंगी, न कि उसके स्थान पर, जिसे ऋणदाता किसी भी समय उधारकर्ता के बकाया के संबंध में रख सकता है और ऋणदाता के पास तब तक उपलब्ध रहेंगी जब तकके बीच सभी खातेऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच का मामला अंततः निपट जाता है।

8.6 उधारकर्ता इस बात पर भी सहमत होता है कि प्रतिभूतियां अन्य सभी धनराशियों के लिए भी प्रतिभूति होंगी, जो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को किसी भी कारण से देय होंगी, चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में, जिसमें उधारकर्ता की अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जमानतदार या सह-दायित्वकर्ता के रूप में कोई देयता भी शामिल है।

उधारकर्ता ऋणदाता को एक मुख्तारनामा प्रदान करेगा जो ऋणदाता को लेनदेन दस्तावेजों के तहत बनाई गई सुरक्षा को पूर्ण करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करने और उससे संबंधित अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत करेगा।

8.7 इस अनुबंध के अंतर्गत देय सीमा, ब्याज, शुल्क, प्रभार और अन्य सभी राशियों का पुनर्भुगतान अनुसूची । में निर्दिष्ट संपत्ति पर बंधक द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। (क) बकाया राशि मौजूदा प्रतिभूति के बाजार मूल्य से अधिक होने, (ख) प्रतिभूति के नष्ट होने, क्षतिग्रस्त होने, मूल्यह्रास होने या उसके मूल्य में गिरावट होने, या (ग) प्रतिभूति का शीर्षक अस्पष्ट, विक्रय-योग्य न होने या बैंक की राय में भारग्रस्त होने की स्थिति में, ऋणी को बैंक से लिखित सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऐसी अतिरिक्त या वैकल्पिक प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी जो बैंक को स्वीकार्य हो। बैंक अपने पूर्ण विवेक से ऐसी प्रतिभूति बनाने के तरीके और रूप का निर्णय लेने का हकदार होगा और ऋणी को इस सीमा के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय बैंक द्वारा अपेक्षित सीमा के लिए कोई भी बांड, वचन पत्र और ऐसे सभी दस्तावेज, मुख्तारनामा/ वचनपत्र और समझौते निष्पादित करने होंगे।

9. गारंटी

यदि ऋणदाता ऐसी अपेक्षा करता है, तो उधारकर्ता एतद्द्वारा ऋणदाता द्वारा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों द्वारा निष्पादित गारंटी प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, जो ऋणदाता की संतुष्टि के अनुरूप रूप और तरीके से होगी।

10. वाचाएं

10.1 विशेष सकारात्मक अनुबंध

उधारकर्ता ऋणदाता के साथ यह वचनबद्धता रखता है कि ऋण/सीमा की अवधि के दौरान:

(i) उधारकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिभूतियों का मूल्य कम न हो।

(ii) उधारकर्ता को लागू कानूनों के अनुसार सभी लागतों, प्रभारों, खर्चों, करों और ऐसे अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(iii) सामान्य चालू खाते के लिए लेनदेन पर लागू अन्य शुल्क, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान रोकने का शुल्क आदि, ओवरड्राफ्ट खाते के लिए भी लागू होंगे।

(iv) उधारकर्ता द्वारा बैंक को भुगतान किए गए/देय सभी शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे और उधारकर्ता इसके द्वारा किसी भी परिस्थिति में बैंक से उसके द्वारा भुगतान किए गए किसी भी शुल्क की वापसी का दावा नहीं करने का वचन देता है। यदि उधारकर्ता ने ओवरड्राफ्ट सुविधा के उधारकर्ता द्वारा पूर्ण उपयोग से पहले इस समझौते में वर्णित किसी भी तरह की चूक की है, तो उधारकर्ता को बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत कोई और निकासी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में, अनुसूची । में उल्लिखित ओवरड्राफ्ट सुविधा राशि के बावजूद खाते में बकाया राशि को इस समझौते के

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

प्रयोजन के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा माना जाएगा। इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, बैंक को किसी भी समय या समय-समय पर ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि की समीक्षा करने और उसे पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा, इस तरह से और इस तरह की सीमा तक जैसा कि बैंक अपने विवेक से ऐसे कारण के आधार पर तय कर सकता है ऐसी स्थिति में, अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा और/या, जैसा भी मामला हो, उधारकर्ता के लिए उपलब्ध परिचालन सीमा को बैंक द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित तरीके से पुनः समायोजित किया जाएगा और उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा।

(v) बैंक इस अनुबंध के अंतर्गत ऋणी(कों) द्वारा देय अन्य सभी राशियों (जिनमें ब्याज कर, शुल्क, स्टाम्प शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, लॉगिन शुल्क, लागत, कर और अन्य प्रभार, दावे और व्यय शामिल हैं, जिनमें ऋणी(कों) द्वारा बैंक के पक्ष में बनाई गई प्रतिभूति के प्रवर्तन या प्रवर्तन के प्रयास में किए गए व्यय शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) को ऋणी(कों) के ऋण खाते से डेबिट करने का हकदार होगा, जब तक कि ऋणी(कों) द्वारा बैंक को अलग से प्रतिपूर्ति न की जाए। ऐसी राशियाँ सीमा का भाग होंगी।

(vi) भुगतान में चूक की गई सभी राशियों (अर्थात बैंक को देय होने पर उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं की गई राशि) में ऋण खाते में डेबिट की गई लागत, प्रभार और व्यय शामिल हैं, जिन पर ऐसे संशोधन के लिए कोई कारण बताए बिना ही दंडात्मक ब्याज/प्रभार लगेगा और उसके बाद अनुसूची के अनुसार संशोधित दर(दरों) पर ब्याज और दंडात्मक प्रभार अर्जित होंगे।

(vii) ऋणी द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा के पुनर्भुगतान से संबंधित प्रावधानों सहित, यहाँ निहित किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन करने पर, ऋणी से नीचे दी गई अनुसूची । में उल्लिखित दर पर संपूर्ण देय राशि (जो देय है और जिसका भुगतान नहीं किया गया है) पर स्थानापन्न/दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा, जो संबंधित देय तिथि से, जिस दिन चूक हुई है, वास्तविक भुगतान/चूक सुधार की तिथि तक देय होगा। इससे बैंक के अन्य अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानापन्न ब्याज का भुगतान करने का दायित्व ऋणी को यह दावा करने का अधिकार नहीं देगा कि नीचे उल्लिखित चूक की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

(viii) यदि उधारकर्ता ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि के दौरान किसी वर्ष ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग नहीं करता है या ओवरड्राफ्ट सुविधा का सीमित उपयोग करता है, तो उधारकर्ता को अनुसूची । में उल्लिखित गैर-उपयोग शुल्क का भुगतान बैंक को करना होगा।

(ix) उक्त खाते पर उधारकर्ता द्वारा देय अन्य शुल्क उक्त खाते के समान खातों पर लागू खाता खोलने के नियमों और शर्तों के अनुसार होंगे।

(x) बैंक उधारकर्ता(ओं) से सीमा के संबंध में बैंक द्वारा उठाए गए किसी भी शुल्क या लागत, या दावों को वसूलने का हकदार होगा, जिसमें इस समझौते के निष्पादन और स्टांपिंग, नवीकरण शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, कानूनी शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और इस समझौते के अनुसार किसी भी अन्य दस्तावेजीकरण या सुरक्षा निर्माण के साथ-साथ लागू कर शामिल हैं।

(xi) उधारकर्ता, ऋणदाता द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को अपनी चल और अचल संपत्तियों के निरीक्षण के उद्देश्य से उधारकर्ता के कार्यालय में मुफ्त पहुंच की अनुमति देगा।

(xii) उधारकर्ता को ऋणदाता को निम्नलिखित के बारे में तुरंत लिखित सूचना देनी होगी: (i) कोई विवाद जो उधारकर्ता और किसी व्यक्ति या किसी सरकारी निकाय या प्राधिकरण के बीच व्यवसाय या प्रतिभूतियों से संबंधित या उससे संबंधित उत्पन्न हो सकता है; (ii) प्रतिभूतियों के विरुद्ध लगाया जा रहा कोई संकट या निष्पादन; (iii) उधारकर्ता की ऋण/सीमा को नीचे निर्धारित तरीके से चुकाने की क्षमता को प्रभावित करने वाली कोई भी भौतिक परिस्थितियाँ; (iv) उसके पते में परिवर्तन या उसके संबंध में कोई अन्य भौतिक परिवर्तन।

(xiii) उधारकर्ता, ऋणदाता के अनुरोध पर ऐसे कार्य, कर्म, मामले और चीजें करेगा, जिन्हें ऋणदाता आवश्यक समझे, या तो प्रदान की गई सुरक्षा को पूर्ण करने के लिए या इस समझौते के उद्देश्य को पूरा करने के लिए।

(xiv) ऋणदाता को यह पुष्टि करनी होगी कि ऋण/सीमा के प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की वास्तविक प्रतियाँ असली हैं। ऋणदाता किसी भी समय ऐसी किसी/सभी प्रतियों की मूल प्रतियों की माँग कर सकता है या उनका सत्यापन करवा सकता है। ऋणदाता के पास मौजूद ऐसी कोई भी प्रति केवल ऋणदाता द्वारा ही दी गई मानी जाएगी।

(xv) ऋणदाता के पक्ष में ऋण/सीमा और/या ऋणदाता द्वारा बनाई गई प्रतिभूति के संबंध में ऋणदाता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में किसी भी कमी को पूरा करने की सभी लागतों को ऋणदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(xvi) उधारकर्ता को ऋणदाता से अनुरोध प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर ऋण/सीमा का अंतिम उपयोग विवरण प्रदान करना होगा।

(xvii) ओवरड्राफ्ट खाते की समीक्षा पिछले प्रदर्शन/खाता आचरण के आधार पर हर बारह महीने में की जाएगी। बैंक को सुविधा को कम/संशोधित/स्थिर/वापस लेने का अधिकार है। ऋणी सहमत है और बैंक को 12 महीने के अंत में अपने विवेकानुसार सुविधा की समीक्षा करने के लिए अधिकृत करता है। बैंक अपने विवेकानुसार सुविधा में संशोधन कर सकता है और ऋणी को इसकी सूचना दे सकता है। यदि ऐसी संशोधित शर्तें स्वीकार्य नहीं हैं, तो ऋणी सुविधा से संबंधित सभी बकाया राशि का भुगतान करके उक्त सुविधा को बंद करने का विकल्प चुन सकता है। हालाँकि, यदि ऋणी समीक्षा तिथि के अनुसार संशोधन के बाद भी सुविधा का उपयोग जारी रखता है, तो इसे नवीनीकृत/संशोधित स्वीकृति नियमों और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा।

10.2 नकारात्मक अनुबंध

उधारकर्ता ऋणदाता के साथ आगे यह वचनबद्धता करता है कि जब तक ऋणदाता अन्यथा लिखित रूप में पहले से अनुमोदन नहीं कर देता, उधारकर्ता निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:

(i) उधारकर्ता अपने संविधान, व्यवसाय, प्रबंधन, स्वामित्व या नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और न ही अपने संवैधानिक/निगमन दस्तावेज़ों में कोई परिवर्तन करेगा। किसी भी व्यक्ति, संस्था या स्थानीय या सरकारी निकाय के साथ कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा।

(a) प्रतिभूतियों या उसके किसी भाग का हिस्सा बनने वाली अचल संपत्तियों के उपयोग, कब्जे या निपटान के लिए

(b) उधारकर्ता की किसी भी परिसंपत्ति के संबंध में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे ऋण/सीमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो।

(ii) किसी के लिए ज़मानत न दें या किसी ऋण/सीमा के पुनर्भुगतान या किसी संपत्ति के क्रय मूल्य की गारंटी न दें।

(iii) किसी भी व्यक्ति के पक्ष में प्रतिभूतियों के साथ किसी भी तरीके से व्यवहार करने के लिए कोई भी दस्तावेज, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी, या कोई अन्य समान या अन्य विलेख, निष्पादित करना, सिवाय इसके कि ऋणदाता द्वारा अपेक्षित हो।

(iv) किसी भी व्यक्ति से उधार न लें या कोई संपत्ति तब तक न लें जब तक बकाया दायित्वों का पूरा भुगतान न कर दिया जाए।

(v) कोई भी ऐसी कार्रवाई न करें जिससे ऋण/सीमा उधार लेना अवैध हो जाए.

11. प्रतिनिधित्व और वारंटी

11.1 उधारकर्ता ऋणदाता के समक्ष निम्नानुसार प्रतिनिधित्व, वारंट और वचन देता है:

(i) उधारकर्ता के पास लेनदेन दस्तावेजों को निष्पादित करने की क्षमता और शक्ति है और उसने लेनदेन दस्तावेजों के निष्पादन के संबंध में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, ये अनुमोदन ऋण/सीमा की अवधि के दौरान वैध और विद्यमान रहेंगे।

(ii) उधारकर्ता ऋणदाता को आश्वस्त करता है कि उधारकर्ता के पास प्रतिभूतियों पर पूर्णतः स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व है, उसने उचित देखभाल और सतर्कता बरती है (जिसमें, जहां आवश्यक हो, कर / कानूनी / लेखा / वित्तीय /

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____

सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

अन्य पेशेवरों की सलाह प्राप्त करना शामिल है) और प्रतिभूतियां पूरी तरह से भारमुक्त हैं और किसी भी प्रकार की देयता से मुक्त हैं।

(iii) उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उधारकर्ता द्वारा या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही (किसी भी रूप में) या जांच लंबित या धमकीयुक्त नहीं है, जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

(iv) ऐसी कोई घटना, परिस्थिति या स्थिति नहीं घटित हुई है, जो प्रतिभूतियों के प्रति उधारकर्ता या ऋणदाता के अधिकार को प्रभावित कर सकती हो या प्रतिभूतियों के प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न कर सकती हो और कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है।

(v) प्रतिभूतियाँ केन्द्र/राज्य सरकार या सुधार ट्रस्ट या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण की किसी योजना में शामिल या प्रभावित नहीं होती हैं या केन्द्र/राज्य सरकार या किसी निगम, नगर पालिका समिति, ग्राम पंचायत आदि की किसी योजना के तहत सड़क के किसी संरेखण, चौड़ीकरण या निर्माण से प्रभावित नहीं होती हैं।

(vi) उधारकर्ता ने भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय सभी सार्वजनिक मांगों जैसे करों, टैक्सों और अन्य सभी राजस्व का भुगतान कर दिया है और देय होने पर भुगतान करेगा और वर्तमान में ऐसे करों और राजस्व का कोई बकाया नहीं है। (ए) लागू होने की सीमा तक, इस समझौते या किसी अन्य सुरक्षा/लेनदेन दस्तावेजों के तहत ऋण/सीमा का लाभ उठाना और अधिकारों का प्रयोग और दायित्वों का प्रदर्शन निजी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए और निष्पादित निजी और वाणिज्यिक कार्यों का गठन करेगा। (बी) उधारकर्ता इस समझौते और अन्य सुरक्षा/लेनदेन दस्तावेजों के संबंध में किसी भी कार्यवाही में मुकदमे, निष्पादन, कुर्की या अन्य कानूनी प्रक्रिया से खुद या अपनी संपत्ति और संपत्तियों के लिए प्रतिरक्षा का हकदार नहीं है/नहीं होगा और दावा नहीं करेगा।

(vii) उधारकर्ता और/या उसके निदेशकों, भागीदारों, सदस्यों में से किसी को भी, जैसा भी मामला हो, जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया हो।

11.2 उधारकर्ता पुष्टि करता है कि अभ्यावेदनऔर इसमें निहित वारंटियों को इस समझौते की तारीख से प्रत्येक दिन उधारकर्ता द्वारा दोहराया गया माना जाएगा जब तक कि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय या बकाया सभी राशियों का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, जैसे कि उस दिन मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया हो।

12. बीमा

12.1 उधारकर्ता को,बकाया दायित्वों की पूर्ण अदायगी होने तक, संपत्ति तथा अन्य सभी संपत्तियों, जिन पर प्रतिभूतियां ऋणदाता के पक्ष में बनाई गई हैं, का पूर्ण बीमा कराकर उन्हें सभी व्यापक जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षित रखें तथा ऐसी पॉलिसी/पॉलिसियों के लाभों को ऋणदाता के नाम के साथ समनुदेशित करें, जिसे ऐसी बीमा पॉलिसी/पॉलिसियों में 'असाइनी' के रूप में उचित रूप से पृष्ठांकित और दर्ज किया गया हो, ऋणदाता द्वारा अपेक्षित मूल्य पर तथा समय-समय पर तथा जहां भी ऐसा करने के लिए कहा जाए, ऋणदाता को इसके साक्ष्य प्रस्तुत करें।

12.2 उधारकर्ता को,बकाया दायित्वों की पूरी अदायगी होने तक, सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त बीमा पॉलिसी/पॉलिसियाँ वैध, चालू और प्रभावी हैं और प्रीमियम का समय पर भुगतान किया जाएगा। ऋणदाता, उधारकर्ता की ओर से प्रीमियम का भुगतान करने और उधारकर्ता से उसकी प्रतिपूर्ति करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12.3 ऋणदाता को ऋण/सीमा के विरुद्ध किसी भी बीमा पॉलिसी/पॉलिसियों के संबंध में प्राप्त होने वाले किसी भी भुगतान को प्राप्त करने और समायोजित करने का अधिकार होगा और अनुसूची। में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची को किसी भी तरीके से बदलने का अधिकार होगा, जैसा कि वह उचित समझे, भले ही इस अनुबंध या किसी अन्य दस्तावेज या कागज में कोई विपरीत बात निहित हो।

13. डिफ़ॉल्ट की घटना

13.1 निम्नलिखित प्रत्येक घटना पर विचार किया जाएगा"डिफ़ॉल्ट की घटना" के रूप में:

(a) यदि कोई चूक हुई होऋण/सीमा के अनुसरण में इस समझौते या लेनदेन दस्तावेजों के तहत देय और भुगतान योग्य किसी भी राशि के भुगतान में;

(b) यदि इस समझौते या किसी भी लेनदेन दस्तावेज़ के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन होता है;

(c) यदि ऋण/सीमा का लाभ उठाते समय या इस अनुबंध या किसी भी लेनदेन दस्तावेज़ में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी गई कोई भी जानकारी भ्रामक या गलत पाई जाती है;

(d) यदि किसी प्रतिभूति का मूल्य कम हो जाता है या वह खतरे में पड़ जाती है, या यदि प्रतिभूतियों पर अधिकार बदल जाता है या यदि प्रतिभूतियों को लागू करने की ऋणदाता की क्षमता प्रभावित होती है।

(e) यदि उधारकर्ता ऋणदाता को किसी चूक की घटना या किसी ऐसी घटना के बारे में सूचित करने में विफल रहता है जो नोटिस या समय बीतने के बाद, या दोनों के बाद, चूक की घटना बन जाएगी;

(f) ऋणदाता, किसी बैंक और/या वित्तीय संस्थान/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और/या अन्य ऋणदाताओं के साथ ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी ऋण सुविधा समझौते या व्यवस्था के तहत ऋणदाता द्वारा की गई कोई भी चूक, इस समझौते के तहत चूक की घटना मानी जाएगी और इसके विपरीत ("क्रॉस डिफॉल्ट")

(g) यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, यदि उधारकर्ता के खिलाफ समापन याचिका दायर की गई है और उसे पहली सुनवाई या प्रवेश की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर खाली, स्थगित या समाप्त नहीं किया गया है, जो भी पहले हो या यदि उधारकर्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही या मुकदमा शुरू किया गया है या धमकी दी गई है और ऐसी कार्यवाही शुरू होने से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रोकी या निपटाई नहीं गई है या यदि किसी प्राधिकारी ने कोई कार्रवाई की है जिसके तहत उधारकर्ता को अपनी संपत्ति के पर्याप्त हिस्से से वंचित किया गया है, और उसे ऐसी कार्रवाई शुरू करने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर खाली, स्थगित या समाप्त नहीं किया गया है;

(h) यदि उधारकर्ता एक साझेदारी या सीमित देयता साझेदारी है, यदि उधारकर्ता को भंग कर दिया जाता है या उसे या उसके किसी भागीदार को विघटन का नोटिस दिया जाता है या यदि उधारकर्ता या उसके किसी भागीदार ने दिवालियापन का कार्य किया है या दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया है या उसे या उन्हें या उनमें से किसी को दिवालिया घोषित करने का आदेश पारित किया गया है;

(i) यदि उधारकर्ता एक व्यक्ति है, यदि उधारकर्ता दिवालिया हो जाता है या उधारकर्ता के विरुद्ध कोई दिवालियापन कार्यवाही शुरू की जाती है, जो भी पहले हो।

एसएमए / एनपीए वर्गीकरण:

उधारकर्ता खातों का एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया में किया जाएगा। एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

एसएमए / एनपीए श्रेणियाँ – सावधि ऋण/सीमा	वर्गीकरण आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय हो
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	90 दिनों से अधिक

उदाहरण: यदि किसी ऋण/सीमा खाते की देय तिथि 31 मार्च है और इस तिथि से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च होगी और 31 मार्च को इसे SMA-0 के रूप में टैग कर दिया जाएगा। यदि यह लगातार अतिदेय बना रहता है, तो

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____

सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

यह खाता 30 अप्रैल को SMA-1 के रूप में टैग हो जाएगा, अर्थात लगातार 30 दिन अतिदेय रहने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल होगी। इसी प्रकार, यदि खाता लगातार अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई को SMA-2 के रूप में टैग कर दिया जाएगा और यदि यह आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून को NPA के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

एसएमए / एनपीए श्रेणियाँ – ओवरड्राफ्ट ऋण/सीमा	वर्गीकरण आधार - अतिदेय ब्याज या शुल्क
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	खाता 90 दिनों से अधिक समय से "आउट ऑफ ऑर्डर" है

आउट ऑफ ऑर्डर: एक ओडी खाते को "आउट ऑफ ऑर्डर" माना जाता है यदि:

- बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक अधिक बनी रहती है, या
- 90 दिनों तक लगातार कोई क्रेडिट नहीं मिलता, या
- पिछले 90 दिनों के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए क्रेडिट पर्याप्त नहीं है।

14. ऋणदाता के उपाय

14.1 यदि कोईचूक की स्थिति में, ऋणदाता, उधारकर्ता को लिखित नोटिस द्वारा बकाया दायित्वों और/या किसी अन्य राशि की घोषणा कर सकता है, जो उधारकर्ता द्वारा लेन-देन दस्तावेजों और/या उधारकर्ता और उधारकर्ता के बीच विद्यमान किसी अन्य समझौते, दस्तावेजों के तहत या उसके अनुसार देय हो सकती है, साथ ही अन्य सभी शुल्क और बकाया राशि भी घोषित कर सकता है और ऐसी घोषणा के बाद वह तुरंत देय हो जाएगी और प्रतिभूतियां तथा किसी अन्य ऋण/सीमा से संबंधित प्रतिभूतियां लागू करने योग्य हो जाएंगी, भले ही लेन-देन दस्तावेजों या किसी अन्य समझौते/समझौतों या दस्तावेजों में इसके विपरीत कुछ भी हो।

14.2 किसी भी चूक की घटना होने पर, ऐसी चूक की गई राशि पर अतिरिक्त ब्याज लगेगा, जिसकी गणना संबंधित देय तिथियों से की जाएगी और मासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाएगी।

14.3 यदि कोई चूक की घटना या कोई घटना, जो नोटिस या समय बीत जाने या दोनों के बाद चूक की घटना मानी जाएगी, घटित हुई है, तो उधारकर्ता तुरंत लिखित रूप में ऋणदाता को ऐसी चूक की घटना या ऐसी घटना को निर्दिष्ट करते हुए इसकी सूचना देगा।

14.4 नीचे दिए गए संबंध में चूक की घटना घटित होने के बाद ऋणदाता द्वारा वहन की गई सभी उचित लागतें उधारकर्ता से ली जा सकती हैं और ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट अनुसार प्रतिपूर्ति की जा सकती हैं।

(a) संपत्तियों का संरक्षण (चाहे वे वर्तमान में हों या भविष्य में हों); या

(b) लेन-देन दस्तावेजों के अंतर्गत देय राशि का संग्रहण।

14.5 लेन-देन दस्तावेजों के अनुसार ऋणदाता द्वारा ऋणदाता को दी गई किसी भी राशि के भुगतान के संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र तभी जारी कर सकता है, जब ऋणदाता ने लेन-देन दस्तावेजों के तहत ऋणदाता को सभी बकाया दायित्वों और अन्य राशियों का भुगतान कर दिया हो और ऋणदाता ने लेन-देन दस्तावेजों की सभी शर्तों का पालन किया हो।

14.6 उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि किसी अन्य ऋण सुविधा के तहत उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को प्रदान की गई कोई भी सुरक्षा इस समझौते के तहत चूक की घटना होने पर ऋणदाता को उपलब्ध होगी और इसके विपरीत।

14.7 यदि कोई ऋण/सीमा अतिदेय हो जाती है, तो बैंक उधारकर्ता को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें पंद्रह (15) दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है और बैंक के पास यह मानने के उचित आधार हैं कि उधारकर्ता जानबूझकर चूक कर रहा है, तो वह उधारकर्ता को अपनी आय के सभी स्रोतों को शिवालिक बैंक के खाते में जमा करने का निर्देश दे सकता है। ऐसा न करने पर बैंक निम्नलिखित में से कोई एक या सभी कार्रवाई करने का हकदार होगा:

क) नकदी प्रवाह और ऋण/सीमा उपयोग को सत्यापित करने के लिए समवर्ती या मासिक ऑडिट आयोजित करना।

ख) आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करें और खाते को एनपीए घोषित करें।

ग) कानून और इस समझौते के तहत अनुमत कानूनी कार्यवाही शुरू करना।

उपरोक्त कार्यवाही करने में बैंक द्वारा किए गए सभी कानूनी और संबंधित खर्च उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

14.8 चूक की घटना घटित होने पर, ऋणदाता किसी भी तरीके से, जिसे वह उचित समझे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से संपर्क करने का हकदार होगा, ताकि चूक की गई राशि की वसूली में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की सहायता प्राप्त की जा सके, जिसमें उधारकर्ता के कार्यालय और/या उधारकर्ता के किसी कार्यस्थल पर जाना शामिल है, परंतु यह उस तक ही सीमित नहीं है।

15. अधित्याग

नहीं डेइस समझौते, बंधक विलेख या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज के तहत किसी भी चूक पर ऋणदाता को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने या न करने में निहित, किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को क्षीण करेगा या उसके त्याग के रूप में समझा जाएगा या ऐसे डिफ़ॉल्ट में किसी भी स्वीकृति से किसी अन्य डिफ़ॉल्ट के संबंध में ऋणदाता के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या क्षीण किया जाएगा।

16. शर्तों की प्रभावी तिथि औरस्थितियाँ

यह अग्रीयह नियम इसके निष्पादन की प्रभावी तिथि से उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों पर बाध्यकारी हो जाएगा। यह तब तक पूरी तरह लागू रहेगा जब तक कि उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच विद्यमान/निष्पादित किसी भी अन्य समझौते, दस्तावेज़ के तहत बकाया दायित्वों और अन्य राशियों का ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता।

17. खुलासा

ऋणदाता द्वारा ऋणदाता को दिए गए ऋण/सीमा की पूर्व शर्त के रूप में ऋणदाता इस बात से सहमत है कि, ऋणदाता को ऋण/सीमा, ऋणदाता और/या गारंटर (यदि ऋण/सीमा के संबंध में गारंटी प्रदान की जाती है) के संबंध में जानकारी का खुलासा करने और प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है, जिसे वह उचित समझे, जिसमें आरबीआई, क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य एजेंसी शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

18. कार्यभार

ऋणदाता अपने सभी अधिकार, शीर्षक और हित, जिसे ऋणदाता उचित समझता है, को हस्तांतरित और/या निर्दिष्ट करके या अन्यथा (ऋणी की लागत पर) किसी भी तरीके से, यदि कोई हो, ऋण/सीमा को प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, सौंपने/बेचने/प्रतिभूत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऋणी इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है कि उस स्थिति में, ऋणदाता को कोई अनुमति प्राप्त करने या ऋणी को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है और ऋणी नए ऋणदाता को नए/अतिरिक्त ऋणदाता के रूप में मान्यता देगा।

19. क्षतिपूर्ति

ऋणदाता, ऋणदाता और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को ऋणदाता को होने वाले सभी प्रकार के नुकसानों से पूरी तरह से सुरक्षित रखने और क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, जिसमें ऋणदाता की कार्रवाई/निष्क्रियता के परिणामस्वरूप, तृतीय पक्ष के दावों या नियामकों या निवेश प्राधिकरणों के दावों के परिणामस्वरूप होने वाली सभी लागतें, व्यय, कर और अन्य लागतें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ऋणदाता, ऋणदाता को होने वाले नुकसान के तुरंत बाद, बिना किसी आपत्ति, आपत्ति,

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____

सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

विवाद या विरोध के ऋणदाता को इस मद में कोई भी राशि चुकाने का वचन देता है।

20. भुगतानों का विनियोजन

मानक खाते- जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, इस समझौते के तहत देय और उधारकर्ता द्वारा किया गया कोई भी भुगतान इस क्रम में ऐसे बकाया के लिए विनियोजित किया जाएगा, अर्थात्: (i) ब्याज; (ii) ऋण/सीमा की मूल राशि; (iii) पूर्वभुगतान प्रभार और फीस; (iv) प्रशासनिक प्रभार और अन्य लागत, प्रभार, व्यय, आकस्मिक प्रभार और अन्य धनराशि जो वसूली के संबंध में ऋणदाता द्वारा खर्च की गई हो सकती है;

एनपीए खाते– एनपीए खातों (अपग्रेड के लिए पात्र नहीं) में वसूली का विनियोजन निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा: (i) मूलधन; (ii) ब्याज; (iii) पूर्वभुगतान प्रभार और फीस; (iv) प्रशासनिक प्रभार और अन्य लागतें, प्रभार, व्यय, आकस्मिक प्रभार और अन्य धनराशि जो वसूली के संबंध में ऋणदाता द्वारा व्यय की गई हो;

21. नोटिस की तामील

21.1 इस अनुबंध के अंतर्गत कोई भी नोटिस, मांग या अन्य संचार और इसके अनुसरण में अन्य दस्तावेज़ वितरित किए गए माने जाएंगे (i) यदि व्यक्तिगत रूप से या कूरियर द्वारा वितरित किए जाते हैं, जब वितरण का प्रमाण वितरण करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है; (ii) यदि उसी देश के भीतर डाक द्वारा भेजा जाता है, तो पोस्ट करने के दसवें दिन और यदि किसी अन्य देश में डाक द्वारा भेजा जाता है, तो पोस्ट करने के बीसवें दिन; (iii) यदि फैक्स द्वारा दिया जाता है या किया जाता है, तो प्रेषण के बाद और ऊपर दिए गए प्रेषण की पुष्टि करने वाली ट्रांसमिशन रिपोर्ट प्राप्त होने पर; (iv) यदि ईमेल द्वारा दिया जाता है या किया जाता है, तो प्रेषक द्वारा प्रेषण के बाद और प्राप्तकर्ता(ओं) को वितरित किए जाने के बाद; और (iv) यदि पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, तो प्रेषण के 4 (चार) दिनों के भीतर। अनुसूची I में.

21.2 इस समझौते के तहत दिया गया प्रत्येक नोटिस, मांग या अन्य संचार लिखित रूप में या एसएमएस के माध्यम से संबंधित पक्ष को अनुसूची I में दिए गए पते या फैक्स नंबर पर दिया जाएगा या भेजा जाएगा।

22. गंभीरता

समझौते के खंड और प्रत्येक खंड में निहित उप-खंड पृथक करने योग्य हैं और किसी भी खंड या उप-खंड की कोई अवैधता, अमान्यता या अनियमितता, असंगतता या प्रतिकूलता किसी भी तरह से किसी अन्य खंड या उप-खंड की वैधता, वैधता या नियमितता को प्रभावित नहीं करेगी।

23. शासी कानूनऔर अधिकार क्षेत्र

23.1 यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित होगा और उस शहर के सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा जहां ऋणदाता की संबंधित शाखा/कार्यालय स्थित है।

23.2 उपरोक्त खंड 23.1 के प्रावधान केवल ऋणदाता के लाभ के लिए हैं। परिणामस्वरूप, ऋणदाता को किसी अन्य अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में किसी विवाद से संबंधित कार्यवाही करने से नहीं रोका जाएगा। कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ऋणदाता किसी भी अधिकार क्षेत्र में समवर्ती कार्यवाही कर सकता है।

23.3 विषयखंड 23.1 के अनुसार, इस समझौते या इससे उत्पन्न किसी संबंधित लेनदेन, या इसके उल्लंघन, समाप्ति, या अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, मतभेद या दावे को पहले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार "जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" नामक एक स्वतंत्र और तटस्थ, तीसरे पक्ष के संस्थान द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान के माध्यम से संचालित और प्रशासित किया जाएगा, और फास्ट-ट्रैक ई-मध्यस्थता पर लागू "जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" के नियमों और विनियमों के साथ संयोजन में भी, जो इंटरनेट पर उपलब्ध है और वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। arbitration.jupitice.com "जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" द्वारा संचालित। विवाद का निपटारा करने के लिए नियुक्त मध्यस्थता न्यायाधिकरण में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और "जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" के नियमों के अनुसार नियुक्त एक स्वतंत्र और एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा। मध्यस्थता कार्यवाही का मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत होगा। मध्यस्थता की सभी लागतें दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन की जाएंगी। सभी मध्यस्थता कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएंगी, और मध्यस्थता का प्रक्रियात्मक कानून भारतीय कानून होगा। मध्यस्थता न्यायाधिकरण का पुरस्कार अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा मध्यस्थ के चयन में बैंक का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा।

24. विविध

24.1 उधारकर्ता सहमत/पुष्टि करता हैनिम्नलिखित नुसार:

(a) कि नियम और शर्तेंऔर इसके अंतर्गत अनुसूची 1 के सभी अनुबंधों और ब्यौरों को इन प्रस्तुतियों के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।

(b) ऋणदाता के पास अपनी प्रतिभूति की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक एवं प्रासंगिक शक्तियां होंगी।

(c) यदि ऋण/सीमा गारंटी द्वारा समर्थित है, तो गारंटीकर्ता गारंटी विलेख के तहत मुख्य देनदार के रूप में उत्तरदायी होगा और उधारकर्ता के साथ संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(d) यह कि उधारकर्ता, इस अनुबंध की तैयारी, प्रतियों को पंचप्रतियों में तैयार करने, उन पर कब्जा करने और उन पर मुहर लगाने तथा निष्पादन के संबंध में उनके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा किए गए व्यय (वकील और ग्राहक के बीच) तथा इसके संबंध में ऋणदाता या उनमें से किसी के द्वारा किए गए या किए जाने वाले अन्य सभी व्ययों का भुगतान मांग पर करेगा या इसके द्वारा बनाई गई प्रतिभूति के प्रवर्तन या प्रवर्तन के प्रयास या उसके बचाव या पूर्णता के संरक्षण या प्रतिभूति के प्रवर्तन या प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के सभी मुकदमों और कार्यवाहियों के लिए या किसी भी धनराशि की वसूली के लिए भुगतान करेगा।

(e) इसमें निहित कोई भी बात ऋणदाता के प्रति उधारकर्ताओं के किसी ऋणग्रस्तता या देयता के लिए किसी वर्तमान या भविष्य की प्रतिभूतियों, गारंटी, दायित्व या डिक्री के संबंध में ऋणदाता के अधिकारों या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या ऐसा नहीं समझा जाएगा।

25. वसूली एजेंट की नियुक्ति

25.1 ऋणदाता स्वीकार करता है और सहमत है कि ऋणदाता, अपने पूर्ण विवेक से, ऋणदाता द्वारा ऋण/सीमा या किसी भी बकाया राशि के भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में ऋणदाता की ओर से कार्य करने के लिए एक वसूली एजेंट नियुक्त कर सकता है। ऋणदाता, ऋणदाता को पूर्व सूचना दिए बिना वसूली एजेंट को नियुक्त करने, पुनः नियुक्त करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25.2 नियुक्त वसूली एजेंट के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे: (i) ऋणदाता की ओर से ऋणी से मूलधन, ब्याज, दंड और अन्य शुल्कों सहित अतिदेय राशि वसूल करना। (ii) ऋणी की ओर से देय किसी भी बकाया राशि पर बातचीत, समझौता या निपटान करना, जो ऋणी की स्वीकृति के अधीन हो। (iii) लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, सुरक्षित परिसंपत्तियों के पुनर्ग्रहण सहित, परंतु उस तक ही सीमित नहीं, कानूनी या अन्य कार्रवाई आरंभ करना।

25.3 ऋणदाता द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट के साथ सहयोग करने और वसूली को सुगम बनाने के लिए वसूली एजेंट द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी या दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए ऋणदाता सहमत है। ऋणदाता किसी भी तरह से वसूली एजेंट को उसके कर्तव्यों के पालन से नहीं रोकेगा या बाधित नहीं करेगा।

25.4 वसूली एजेंट को वसूली गतिविधियाँ करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक (या

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

संबंधित नियामक प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों सहित सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। ऋणदाता स्वीकार करता है कि ऋणदाता और वसूली एजेंट वसूली कार्य करते समय गोपनीयता बनाए रखेंगे और नैतिक मानकों का पालन करेंगे।

25.5 वसूली प्रक्रिया के संबंध में ऋणदाता और/या वसूली एजेंट द्वारा किए गए सभी उचित लागत और व्यय, जिसमें कानूनी शुल्क भी शामिल है, उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे और उन्हें बकाया राशि में जोड़ दिया जाएगा।

25.6 ऋणदाता, उधारकर्ता को पूर्व सूचना दिए बिना, इस खंड के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों को वसूली एजेंट सहित किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित या सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26. ग्रहणाधिकार और सेट ऑफ

26.1 **धारणाधिकार**

ऋणदाता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता के पास ऋणदाता की सभी संपत्तियों, संपदाओं, प्रतिभूतियों, खातों और धन पर ग्रहणाधिकार, प्रभार और धारणाधिकार का अधिकार होगा जो ऋणदाता के कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं या आ सकते हैं, चाहे सुरक्षा के रूप में या अन्यथा, ऋण/सीमा या इस समझौते के तहत बकाया किसी भी राशि के उचित भुगतान के लिए। ऋणदाता, किसी भी समय और ऋणदाता को बिना किसी सूचना के, मूलधन, ब्याज, दंड और अन्य शुल्कों सहित किसी भी बकाया राशि को चुकाने के लिए ऐसी किसी भी संपत्ति को धारण, बेच या वसूल कर सकता है।

26.2 **सेट-ऑफ का अधिकार**

इस समझौते के तहत देय किसी भी राशि का भुगतान करने में उधारकर्ता द्वारा किसी भी चूक या विफलता की स्थिति में, उधारकर्ता, ऋणदाता को, बिना किसी पूर्व सूचना या मांग के, उधारकर्ता के पास मौजूद किसी भी खाते (चाहे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) में किसी भी शेष राशि को, उधारकर्ता द्वारा बकाया किसी भी राशि, जिसमें मूलधन, ब्याज, शुल्क, लागत, या इस समझौते के तहत कोई अन्य देयताएँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के भुगतान के लिए सेट ऑफ, विनियोजन या उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है। यह अधिकार ऋणदाता के पूर्ण विवेक पर प्रयोग किया जा सकेगा।

26.3 **अन्य अधिकारों का कोई त्याग नहीं**

इस समझौते में प्रदान किए गए ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ के अधिकार, लागू कानून या उधारकर्ता के साथ किसी अन्य समझौते के तहत ऋणदाता को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके विरुद्ध।

26.4 **एकाधिक खाते**

यदि उधारकर्ता ऋणदाता के पास एक से अधिक खाते रखता है, तो ऋणदाता को ऐसे किसी या सभी खातों को संयोजित या समेकित करने का अधिकार होगा और ऐसे खातों में किसी या सभी शेष राशि के विरुद्ध सेट-ऑफ के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा, भले ही खाते जिन नियमों या शर्तों के तहत खोले गए हों या बनाए गए हों।

26.5 **सतत सुरक्षा**

इसमें प्रदान किया गया ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ का अधिकार निरन्तर प्रकृति का होगा और तब तक बना रहेगा जब तक इस समझौते के तहत ऋणदाता को देय सभी राशियों का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता है और ऋणदाता ने ऐसे भुगतान की लिखित पुष्टि प्रदान नहीं कर दी है।

26.6 **कानूनी अधिकार**

उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत है कि ऋणदाता के ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ अधिकार लागू कानूनों के अनुसार पूर्ण, अपरिवर्तनीय और प्रवर्तनीय हैं, और उधारकर्ता कानून द्वारा प्रदान किए गए को छोड़कर, ऋणदाता के ऐसे अधिकारों के प्रयोग पर विवाद करने या चुनौती देने के किसी भी अधिकार को छोड़ देता है।

26.7 **तृतीय-पक्ष खाते**

संयुक्त खाते या किसी ऐसे खाते के मामले में जिसमें उधारकर्ता सह-धारक है, उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता ऐसे खाते में संपूर्ण शेष राशि के संबंध में अपने ग्रहणाधिकार या सेट-ऑफ अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, चाहे किसी तीसरे पक्ष के खाताधारकों द्वारा कोई दावा किया गया हो, जो लागू कानूनी प्रावधानों के अधीन है।

27. लेखापरीक्षा और निरीक्षण

ऋणकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों, जिनमें बाह्य लेखा परीक्षक या विनियामक प्राधिकरण शामिल हैं, को इस अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय ऋणकर्ता के वित्तीय अभिलेखों, खातों और ऋण/सीमा या ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों का लेखा-परीक्षण, निरीक्षण और जांच करने का अधिकार होगा, ताकि इस अनुबंध की शर्तों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति का आकलन किया जा सके।

27.1 **सहयोग और पहुंच**

उधारकर्ता किसी भी ऑडिट या जाँच के दौरान ऋणदाता और उसके प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए सहमत होता है। इसमें ऋणदाता, उसके लेखा परीक्षकों या नियामक द्वारा उचित रूप से अनुरोध किए गए खातों, अभिलेखों, चालानों या किसी भी अन्य दस्तावेज़ तक पहुँच प्रदान करना शामिल है। उधारकर्ता, ऋणदाता या उसके प्रतिनिधियों को अपने किसी भी व्यावसायिक परिसर में ऐसे ऑडिट करने की अनुमति देगा और ऑडिट के संचालन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

27.2 **लेखापरीक्षा/निरीक्षण का दायरा**

उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता किसी भी विसंगति, गैर-अनुपालन, ऋण/सीमा निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी, या ऋणदाता के हितों को खतरे में डालने वाली किसी भी अन्य गतिविधि की पुष्टि के लिए ऑडिट/निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है। ऐसी जाँचों के दायरे में उधारकर्ता की वित्तीय गतिविधियाँ, परिचालन प्रक्रियाएँ, या ऋणदाता द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।

27.3 **तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षक**

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता किसी भी ऑडिट या जाँच के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिटर या विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है। यदि यह पाया जाता है कि उधारकर्ता ने समझौते की शर्तों का भौतिक रूप से उल्लंघन किया है, धोखाधड़ी की गतिविधियों में लिप्त है, या अपनी वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, तो उधारकर्ता को ऐसे ऑडिट का खर्च वहन करना होगा।

27.4 **रेड-फ्लैग खाता**

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता, अपने विवेकानुसार, संदेह या किसी धोखाधड़ी गतिविधि के आधार पर, उधारकर्ता की किसी और सहायता के बिना, खाते को रेड-फ्लैग खाते के रूप में वर्गीकृत कर सकता है और व्यापक ऑडिट कर सकता है। उधारकर्ता ऋणदाता की जाँच प्रक्रियाओं में पूर्ण सहयोग करने के लिए बाध्य है। यदि जाँच में धोखाधड़ी की पुष्टि नहीं होती है, तो रेड-फ्लैग हटाया जा सकता है और खाते की सामान्य निगरानी फिर से शुरू हो जाएगी।

27.5 **लेखापरीक्षा/जांच के बाद दायित्व**

यदि किसी ऑडिट या जांच में किसी अनियमितता, गलतबयानी या इस समझौते की शर्तों के गैर-अनुपालन का पता चलता है, तो उधारकर्ता निम्नलिखित के लिए सहमत होता है: a. ऐसी अनियमितताओं या गलतबयानी को तुरंत सुधारना। b. परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ऋणदाता को प्रतिपूर्ति करना। c. ऐसे ऑडिट या जांच के संबंध में ऋणदाता द्वारा वहन की गई किसी भी लागत या शुल्क का भुगतान करना।

27.6 **गैर-अनुपालन के परिणाम**

ऋणदाता की ऑडिट या जाँच प्रक्रिया का पालन करने में उधारकर्ता की विफलता, या अनुरोधित दस्तावेज़ या पहुँच प्रदान करने से इनकार, इस अनुबंध के तहत चूक की घटना मानी जा सकती है। ऐसी चूक होने पर, ऋणदाता उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें अनुबंध को समाप्त करना, ऋण/सीमा की तत्काल

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

चुकौती की माँग करना, या कानूनी उपाय करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

28. शिकायत निवारण तंत्र

(धारा 28 के लिए 'ऋणदाता' और 'बैंक' शब्दों का परस्पर प्रयोग किया जाएगा)

यदि किसी उधारकर्ता को कोई शिकायत है, तो वह बैंक के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से संपर्क कर सकता है या अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जा सकता है। वे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए शाखा में उपलब्ध शिकायत पेटी या शिकायत प्रपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं।

यदि प्रारंभिक समाधान उधारकर्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है,अनुसरण किया जाने वाला एस्केलेशन मैट्रिक्स है:

स्तर 1: बैंक शाखा प्रबंधक / फोन बैंकिंग नंबर / ग्राहक सेवा केंद्र:

उधारकर्ता अपने निकटतम शाखा कार्यालय में बैंक के शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, उधारकर्ता बैंक के फ़ोन बैंकिंग अधिकारी से टोल-फ्री नंबर 1800-202-5333 पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं।customercare@shivalikbank.com

स्तर 2: नोडल अधिकारी

नोडल अधिकारी का नाम: जयत्री सिंह

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, दूसरी और तीसरी मंजिल, एड इंडिया टॉवर, प्लॉट नंबर 6ए, सेक्टर 125, नोएडा – 201303, संपर्क विवरण: 0120–4060011 ईमेल आईडी: grievance@shivalikbank.com

स्तर 3: प्रधान नोडल अधिकारी

मुख्य नोडल अधिकारी का नाम: रवि रत्नाकर सिंह

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, द्वितीय एवं तृतीय तल, एड इंडिया टावर, प्लॉट संख्या 6ए, सेक्टर 125, नोएडा – 201303, संपर्क विवरण: 0120–4060012

ईमेल आईडी: pno@shivalikbank.com.

प्रधान नोडल अधिकारी 7 कार्यदिवसों के भीतर शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि शिकायत की जाँच के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो, तो शिकायत की पावती देते हुए उत्तर देने के लिए अधिक समय की आवश्यकता बताई जाएगी।

एकीकृत लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराना: बैंक रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत आता है। यदि उधारकर्ता बैंक द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है या शिकायत प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर उनकी शिकायत का निवारण नहीं होता है, तो वे https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके एकीकृत लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

चंडीगढ़ स्थित 'केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र' (सीआरपीसी) में भी शिकायतें भौतिक रूप से प्रस्तुत की जा सकती हैं। सीआरपीसी का पता: केंद्रीयकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017 ईमेल - crpc@rbi.org.in आरबीआई संपर्क केंद्र, टोल-फ्री नंबर - 14448

ऋणकर्ता ने इस अनुबंध को पढ़ और समझ लिया है और यदि ऋणकर्ता अशिक्षित है और/या अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ सकता है, तो इस अनुबंध की शर्तों और नियमों को ऋणकर्ता को स्थानीय भाषा में विस्तार से पढ़कर सुनाया, अनुवादित और समझाया गया है।

मैंने/हमने उपरोक्त खण्डों तथा महत्वपूर्ण कर्ज समझौते को पढ़ लिया है और समझ लिया है। मैं/हम इस महत्वपूर्ण विवरण सहित सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे। पूर्वोक्त में दिए गए करारनमें और अन्य दस्तावेजों को मेरी/हमारी समझ में आने वाली भाषा में मुझे/हमें बताया गया है और मैंने/हमने विभिन्न खण्डों का पूरा तात्पर्य समझ लिया है। ऋण प्राप्तकर्ताओं ने इस समझौते की विषयबस्तु सत्यापित करने और समझने के बाद हस्ताक्षर किये हैं।

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____

सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर का पुनर्निर्धारण - सावधि ऋण

यदि बाह्य बेंचमार्क दर (रेपो दर) में परिवर्तन होता है, तो ऋण खाते के लिए ब्याज दर संशोधित की जाएगी, और इसका प्रभाव ईएमआई और/या अवधि या दोनों पर पड़ेगा। बाह्य बेंचमार्क दर में परिवर्तन के कारण ईएमआई/अवधि या दोनों में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दी जाएगी। दर पुनर्निर्धारण से पहले उधारकर्ता के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

1. ऋण की अवधि में परिवर्तन
2. ऋण की EMI में परिवर्तन
3. ऋण की अवधि और ईएमआई में परिवर्तन
4. रूपांतरण विकल्प का लाभ उठाकर मौजूदा अस्थिर ब्याज दर से स्थिर ब्याज दर पर स्विच करें। इसके लिए लागू संशोधन शुल्क लिया जाएगा।

उधारकर्ता किसी भी बैंक ऋण सेवा शाखा में जाकर रीसेट तिथि से पहले उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। अनुरोध पर उधारकर्ता द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर या सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि रीसेट तिथि से पहले कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो दर रीसेट नीचे दिए गए तरीके से किया जाएगा और रीसेट के बाद इसकी सूचना दी जाएगी:

1. कार्यकाल में वृद्धि, फिर
2. यदि अवधि समाप्त हो जाती है तो ईएमआई में वृद्धि।
3. यदि अवधि और ऋण दायित्व बैंक की सीमा से अधिक हो जाते हैं, तो उधारकर्ता से नए सिरे से ऋण मूल्यांकन और ऋण दस्तावेजीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त,
ऋणदाता ऋण अवधि के दौरान किसी भी समय आंशिक पूर्व-भुगतान या पूर्ण पूर्व-भुगतान का विकल्प चुन सकता है। ऋण-अधिग्रहण शुल्क/पूर्व-भुगतान शुल्क मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।

आईआरएसी मानदंड: एसएमए, एनपीए वर्गीकरण और एनपीए उन्नयन

यह पुष्टि की जाती है कि मैंने/हमने देय राशि, देय तिथियों और हमारे उधारकर्ता खातों को एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित अवधारणाओं को समझ लिया है, जैसा कि मुझे/हमें स्वीकृत ऋण सुविधा के संदर्भ में नीचे उल्लेखित खातों के संचालन के तहत है।

परिभाषाएँ:

बकाया:ऋण खाते पर लगाया गया मूलधन/ब्याज/कोई भी शुल्क जो ऋण सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय हो।

अतिदेय: ऋण खाते पर लगाया गया मूलधन/ब्याज/कोई भी शुल्क जो देय है लेकिन ऋण सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर चुकाया नहीं गया है। दूसरे शब्दों में, किसी भी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि पर नहीं किया जाता है।

उधारकर्ता खाते में भुगतान के विनियोजन में 'पहले आओ पहले पाओ' (एफआईएफओ) के सिद्धांत की प्रासंगिकता: एसएमए/एनपीए स्थिति निर्धारित करने के लिए अतिदेय दिनों की संख्या ज्ञात करने हेतु FIFO का सिद्धांत अर्थात 'पहले आओ, पहले पाओ' लेखा पद्धति प्रासंगिक है। FIFO सिद्धांत मानता है कि ऋण खाते में सबसे पुराना बकाया पहले चुकाया जाना चाहिए। इस प्रकार FIFO पद्धति के लिए आवश्यक है कि जो पहले देय हो, उसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा पहले किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी ऋण खाते में 01.02.2021 तक कोई अतिदेय राशि नहीं है और मूलधन किस्त/ब्याज/शुल्क के भुगतान के लिए X रुपये की राशि देय है, तो ऋण खाते में 01.02.2021 को या उसके बाद जमा किए जाने वाले किसी भी भुगतान का उपयोग 01.02.2021 को बकाया राशि के भुगतान के लिए किया जाएगा।
यह मानते हुए कि फरवरी माह के दौरान कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है / या बकाया राशि का आंशिक भुगतान (Y रुपये) हुआ है, 01.03.2021 तक अतिदेय राशि XY रुपये होगी। इसके अतिरिक्त, 01.03.2021 तक Z रुपये की राशि देय हो जाती है। अब 01.03.2021 को या उसके बाद खाते में किया गया कोई भी भुगतान / आंशिक भुगतान सबसे पहले 01.02.2021 (X रुपये - Y रुपये) के आंशिक भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि X रुपये - Y रुपये से अधिक वसूली होती है, तो 01.02.2021 की बकाया राशि वसूलने के बाद, शेष राशि को 01.03.2021 की बकाया राशि के लिए वसूली माना जाएगा।

सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बकाया: सबसे पुराने बकाये की आयु की गणना उस तारीख से दिनों में की जाती है जिस दिन सबसे पुराना भुगतान देय है और उपरोक्त उदाहरण में भुगतान न किया जाना जारी है, यदि 1 फरवरी 2021 से संबंधित बकाया राशि 01.03.2021 तक भुगतान न की गई हो, तो सबसे पुराने बकाये की आयु 02.03.2021 को 29 दिन के रूप में मानी जाती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए): गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है, जहां ब्याज और/या मूलधन की किस्त सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण: ऋणदाता संस्थाएं ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव को, चूक होने पर, तुरंत पहचान कर उन्हें विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करेंगी। एसएमए/एनपीए श्रेणी के वर्गीकरण का आधार निम्नानुसार होगा:

एसएमए उप-श्रेणियाँ	सावधि ऋण के वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय हो
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	90 दिनों से अधिक

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____

सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

देय राशि के भुगतान में देरी/गैर-भुगतान के आधार पर एसएमए श्रेणी से एनपीए श्रेणी में खाते का स्थानांतरण और तत्पश्चात दिन के अंत में मानक श्रेणी में उन्नयन की प्रक्रिया:

भुगतान देय तिथि	भुगतान तिथि	भुगतान कवर	सबसे पुराना बकाया (दिनों में)	एसएमए/एनपीए श्रेणी	एसएमए तिथि / एसएमए वर्ग तिथि	एनपीए स्थिति	एनपीए तिथि
01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022 तक का संपूर्ण बकाया	0	शून्य	एन/ए	एन/ए	एन/ए
01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022 को आंशिक रूप से देय राशि का भुगतान किया गया	1	एसएमए-0	01.02.2022	एन/ए	एन/ए
01.02.2022	02.02.2022	01.02.2022 को आंशिक रूप से देय राशि का भुगतान किया गया	2	एसएमए-0	01.02.2022	एन/ए	एन/ए
01.03.2022		01.02.2022 का बकाया पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है, 01.03.2022 का बकाया भी 01.03.2022 EOD पर देय है	29	एसएमए-0	01.02.2022	एन/ए	एन/ए
		01.02.2022 का बकाया पूर्णतः भुगतान किया गया, 01.03.2022 का बकाया 01.03.2022 की EOD पर भुगतान नहीं किया गया	1	एसएमए-0	01.03.2022	एन/ए	एन/ए
		01.02.2022 और 01.03.2022 के पूर्ण बकाया का भुगतान 03.03.2022 EOD पर नहीं किया जाएगा	31	एसएमए-1	01.02.2022 / 03.03.2022	एन/ए	एन/ए
		01.02.2022 का बकाया पूर्णतः भुगतान किया गया, 01.03.2022 का बकाया 1.03.2022 की EOD पर पूर्णतः भुगतान नहीं किया गया	1	एसएमए-0	01.03.2022	एन/ए	एन/ए
01.04.2022		01.02.2022, 01.03.2022 के बकाया और 01.4.2022 को देय राशि का भुगतान 01.04.2022 ईओडी पर नहीं किया गया	60	एसएमए-1	01.02.2022 / 03.03.2022	एन/ए	एन/ए
		01.02.2022 से 01.04.22 तक की बकाया राशि का भुगतान 02.04.2022 EOD पर नहीं किया जाएगा	61	एसएमए -2	01.02.2022 / 02.04.2022	एन/ए	एन/ए
01.05.2022		01.02.2022 से 01.05.22 तक की बकाया राशि का भुगतान 01.05.2022 की EOD पर नहीं किया जाएगा	90	एसएमए -2	01.02.2022 / 02.04.2022	एन/ए	एन/ए
		01.02.2022 से 01.05.2022 तक बकाया राशि का भुगतान 02.05.2022 EOD पर नहीं किया जाएगा	91	एनपीए	एन/ए	एनपीए	02.05.2022
01.06.2022	01.06.2022	01.02.2022 का पूर्ण भुगतान 01.06.2022 EOD पर	93	एनपीए	एन/ए	एनपीए	02.05.2022
01.07.2022	01.07.2022	01.03.2022 और 01.04.2022 का पूरा बकाया 01.07.2022 EOD पर चुकाया गया	62	एनपीए	एन/ए	एनपीए	02.05.2022
01.08.2022	01.08.2022	01.05.2022 और 01.06.2022 का पूरा बकाया 01.08.2022 की EOD पर चुकाया गया	32	एनपीए	एन/ए	एनपीए	02.05.2022
01.09.2022	01.09.2022	01.07.2022 और 01.08.2022 का पूरा बकाया 01.09.2022 EOD पर चुकाया गया	1	एनपीए	एन/ए	एनपीए	02.05.2022
01.10.2022	01.10.2022	01.09.2022 और 01.10.2022 का पूरा बकाया भुगतान किया गया	0	मानक खाता	एन/ए	एन/ए	01.10.2022 से एसटीडी

मैं/हम यह भी समझते हैं कि उपर्युक्त कुछ उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं तथा सामान्य परिदृश्यों को कवर करने वाले संपूर्ण नहीं हैं, तथा उपरोक्त विषयों पर आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए आईआरएसीपी मानदंड और स्पष्टीकरण मान्य होंगे

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

अनुसूची I

ऋणदाता विवरण		
1.	शाखा का नाम	
2.	अधिकार क्षेत्र (वितरण का स्थान)	

उधारकर्ता का विवरण						
1.	[ ] **कंपनी**	[ ] **साझेदारी**	[ ] **सीमित देयता भागीदारी**	[ ] **समाज**	[ ] **ट्रस्ट**	[ ] **एकल स्वामित्व**

ए.	नाम	
बी.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
सी.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (यदि कंपनी हो)	
डी.	व्यवसाय स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता	
ई.	सभी का नाम, [ ] **निदेशक** [ ] **भागीदार** [ ] **सदस्य** [ ] **एकमात्र स्वामी**	
एफ.	वह क़ानून जिसके तहत उधारकर्ता को निगमित किया गया था	[ ] **कंपनी**- कंपनी अधिनियम, 1956 / कंपनी अधिनियम, 2013 [ ] **साझेदारी**- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 [ ] **सीमित देयता भागीदारी**- सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 [ ] **समाज**- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 / सहकारी समिति अधिनियम [ ] **ट्रस्ट** - भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882
2.	यदि उधारकर्ता एक व्यक्ति है	
ऐ.i	नाम	
ए.ii	का बेटा / बेटी / पत्नी	
ए.iii	व्यवसाय स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता	
ए.iv	निवास का पता	
बी.i	नाम	
बी.ii	का बेटा / बेटी / पत्नी	
बी.iii	व्यवसाय स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता	
बी.iv	निवास का पता	

अनुसूची।

सह-उधारकर्ता(ओं) का विवरण

1.	[ ] निदेशक	[ ] भागीदार	[ ] सदस्य	[ ] एकमात्र स्वामी	[ ] व्यक्ति
ऐ. i	नाम				
ऐ. ii	का बेटा / बेटी / पत्नी				
ऐ. iii	निवास का पता				
बी. i	नाम				
बी. ii	का बेटा / बेटी / पत्नी				
बी. iii	निवास का पता				
सी. i	नाम				
सी. ii	का बेटा / बेटी / पत्नी				
सी. iii	निवास का पता				
डी. i	नाम				
डी. ii	का बेटा / बेटी / पत्नी				
डी. iii	निवास का पता				
ई. i	नाम				
ई. ii	का बेटा / बेटी / पत्नी				
ई. iii	निवास का पता				
एफ. i	नाम				
एफ. ii	का बेटा / बेटी / पत्नी				
एफ. iii	निवास का पता				
जी. i	नाम				
जी. ii	का बेटा / बेटी / पत्नी				
जी. iii	निवास का पता				

2.	**[ ] कंपनी**	**[ ] साझेदारी**	**[ ] सीमित देयता भागीदारी**	**[ ] समाज**	**[ ] ट्रस्ट**
ए.	नाम				
बी.	पंजीकृत कार्यालय का पता				
सी.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (यदि कंपनी हो)				
डी.	व्यवसाय स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता				
ई.	सभी का नाम, **[ ] निदेशक** **[ ] भागीदार** **[ ] सदस्य**				
एफ.	वह क़ानून जिसके तहत उधारकर्ता को निगमित किया गया था		**[ ] कंपनी**- कंपनी अधिनियम, 1956 / कंपनी अधिनियम, 2013 **[ ] साझेदारी**- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 **[ ] सीमित देयता भागीदारी**- सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 **[ ] समाज**- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 / सहकारी समिति अधिनियम **[ ] ट्रस्ट** - भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882		

सुरक्षा का विवरण		
1.	विवरणसंपत्ति का	
2.	अतिरिक्त सुरक्षा / संपार्श्विक	

अनुसूची।
मुख्य तथ्य विवरण
भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

1	**ऋण प्रस्ताव/खाता संख्या**		**ऋण का प्रकार**	☐ **संपत्ति पर ऋण** ☐ **आवास ऋण**
2	**स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)**			
3	**संवितरण अनुसूची** (i) चरणों में या 100% अग्रिम भुगतान। (ii) यदि यह चरणवार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण समझौते के खंड का उल्लेख करें			
4	**ऋण अवधि (महीने)**			
5	**किस्त विवरण**			

किश्तों के प्रकार	ईपीआई की संख्या	ईपीआई (₹)	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत

6	**ब्याज दर (%) और प्रकार (स्थिर या अस्थायी या हाइब्रिड)**	
7	**फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी**	

संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (बी)	प्रसार (%) (एस)	अंतिमदर (%) R = (B) + (S)	आवधिकता रीसेट करें(महीने)		संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव ('आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए, में परिवर्तन)	
				बी	एस	ईपीआई (₹)	ईपीआई की संख्या
आरबीआई नीति रेपो दर				कम से कम तीन महीने में एक बार	संवितरण / अंतिम रीसेट से 36 महीने से पहले नहीं	+0.25%- -0.25%-	+0.25%- -0.25%-

8	**शुल्क/प्रभार**				
		आरई (ए) को देय		आरई (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	
		एक बार/ आवर्ती	इसमें राशि ₹) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो	एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जो भी लागू हो
(i)	प्रक्रमण फीस	वन टाइम		लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बीमा शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	वन टाइम	
(iii)	कानूनी और मूल्यांकन शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	वन टाइम	
(iv)	संपत्ति बीमा शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	वन टाइम	
(v)	दस्तावेज़ जांच शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	वन टाइम	
(vi)	दस्तावेज़ीकरण शुल्क	वन टाइम		लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)				

9	**वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)**	
10	**आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)**	
(i)	विलंबित भुगतान के मामले में दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो - अतिदेय शुल्क	अतिदेय राशि पर 2% प्रति माह
(ii)	अन्य दंडात्मक शुल्क - ईएमआई बाउंस शुल्क	₹600 + जीएसटी
(iii)	फौजदारी शुल्क*, यदि लागू हो	1. 1 वर्ष तक - बकाया राशि का 4% + जीएसटी 2. 1 से 3 वर्ष के बीच - बकाया राशि का 3% + जीएसटी 3 वर्ष बाद - बकाया राशि का 2% + जीएसटी

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

	आंशिक - पूर्व भुगतान शुल्क*	अग्रिम भुगतान राशि का 2% + जीएसटी
	(* फ्लोटिंग रेट ऋण के लिए - एमएसई को स्वीकृत सुविधा पर फौजदारी/आंशिक पूर्व भुगतान शुल्क लागू नहीं होते हैं। फौजदारी/आंशिक पूर्वभुगतान शुल्क उधारकर्ता(ओं) द्वारा व्यवसाय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत क्षमता में ली गई सुविधा पर लागू नहीं होते हैं। *निश्चित दर ऋण के लिए - एमएसई को स्वीकृत सुविधा राशि तक की सुविधा पर फौजदारी/आंशिक पूर्व भुगतान शुल्क लागू नहीं होते हैं(जैसा कि समय-समय पर विनियमों में निर्धारित किया गया है)।	
(iv)	फ्लोटिंग से फिक्स्ड दर पर तथा इसके विपरीत ऋण स्विच करने के लिए शुल्क	बकाया राशि का 0.25%, अधिकतम 5000 रुपये + जीएसटी
(v)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)	
	स्टाम्प पेपर शुल्क	₹
	डुप्लिकेट स्टेटमेंट शुल्क	₹100/- + जीएसटी
	बैंक के नोटिस शुल्क	₹100/- + जीएसटी प्रति नोटिस
	कानूनी नोटिस शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
	वसूली शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
	संशोधन शुल्क	बकाया राशि का 0.25% अधिकतम 5000/- रुपये + जीएसटी के अधीन
	रद्दीकरण शुल्क	संवितरण की तिथि से रद्दीकरण अनुरोध प्राप्त होने तक ₹ 5,000 + ब्याज
	सेर्साई	₹

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	धारा का ऋण समझौता संबंधित को वसूली एजेंटों की नियुक्ति	वसूली एजेंटों की नियुक्ति के लिए ऋण समझौते के खंड 25 का संदर्भ लें
2	धारा का ऋण समझौता कौन विवरण शिकायत निवारण तंत्र	शिकायत के लिए ऋण समझौते के खंड 28 का संदर्भ लें निवारण तंत्र.
3	फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी नोडल शिकायत निवारण अधिकारी के	स्तर 1- 1800-202-5333,customercare@shivalikbank.com स्तर 2 - 0120–4060011,grievance@shivalikbank.com स्तर 3 - 0120–4060012,pno@shivalikbank.com
4	क्या ऋण वर्तमान में है, या भविष्य में हो सकता है, स्थानांतरित करनाअन्य आरई या प्रतिभूतिकरण के लिए (हाँ/नहीं)	हाँ
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है:	

मूल आरई का नाम, साथ में इसके वित्त पोषण अनुपात के साथ	साझेदार आरई का नाम उसके साथ वित्त पोषण का अनुपात	मिश्रित ब्याज दर
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6	डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
(i)	आरई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	लागू नहीं
(ii)	विवरण एलएसपी रिकवरी एजेंट के रूप में कार्य करता है और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत	लागू नहीं

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

अनुसूची I – ऋण विवरण						
1.	ऋण खाता संख्या					
2.	स्वीकृति पत्र दिनांक एवं संदर्भ संख्या					
3.	सुविधा की प्रकृति		सावधि ऋण			
4.	उत्पाद का प्रकार		[ ] संपत्ति पर ऋण		[ ] आवास ऋण	
5.	किश्तों की संख्या		[ ] अकेला		[ ] एकाधिक	
6.	किश्त 1 राशि		किश्त 2 राशि		किश्त 3 राशि	
7.	ब्याज (इसकी गणना मासिक शेष के आधार पर की जाएगी। यह मासिक आधार पर देय होगा)					
8.	समझौते का स्थान और तिथि					
पुनर्भुगतान विवरण						
1.	ईएमआई की संख्या					
2.	पहली मासिक किस्त की देय तिथि					
3.	परिशोधन अनुसूची / मूलधन और ब्याज का विभाजन	स्वीकृति तिथि के आधार पर प्रदान की गई पुनर्भुगतान अनुसूची एक सांकेतिक पुनर्भुगतान हैअनुसूची। सुविधा वितरित होने के बाद लागू पुनर्भुगतान अनुसूची प्रदान की जाती है। वितरण तिथियों/राशियों में अंतर होने पर, पुनर्भुगतान अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है।				
4.	पुनर्भुगतान का तरीका	[ ] एनएसीएच	[ ] एसआई	[ ] अन्य		
5.	एक माह में संवितरण तिथि सीमा	पहली से चौथी	5वीं से 15वीं	16 से 31 तक		
	टूटी हुई अवधि का ब्याज	उसी महीने की 5 तारीख	शून्य	अगले महीने की 5 तारीख		
	पहली EMI की देय तिथि	अगले महीने की 5 तारीख	अगले महीने की 5 तारीख	अगले-से-अगले महीने की 5 तारीख		

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

अनुसूची I - ओवरड्राफ्ट सीमा तथ्य विवरण

1.	खाता संख्या	
2.	स्वीकृति पत्र दिनांक एवं संदर्भ संख्या	
3.	समझौते का स्थान और तिथि	
4.	सुविधा की प्रकृति	ओवरड्राफ्ट सीमा
5.	ऋण का प्रकार	संपत्ति पर ऋण
6.	स्वीकृति राशि	
7.	अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा	
8.	आकर्षण शक्ति	
9.	ब्याज प्रकार (अस्थायी या निश्चित)	
10.	ब्याज दर (फ्लोटिंग के मामले में)	_____% प्रति वर्ष (बेंचमार्क दर -_____% + स्प्रेड -_____%
11.	ब्याज दर (फिक्स्ड के मामले में)	_____ % प्रति वर्ष
12.	आवधिकता रीसेट करें	बेंचमार्क दर - कम से कम तीन महीने में एक बार प्रसार - संवितरण / अंतिम रीसेट से 36 महीने से पहले नहीं
13.	शुल्क/प्रभार	

(i)	प्रक्रमण फीस		(ii)	बीमा शुल्क	
(iii)	कानूनी और मूल्यांकन शुल्क		(iv)	संपत्ति बीमा शुल्क	
(v)	दस्तावेज़ जांच शुल्क		(vi)	दस्तावेज़ीकरण शुल्क	
(vii)	CERSAI शुल्क		(viii)	स्टाम्प पेपर शुल्क	
(ix)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)				
(x)	नवीनीकरण-प्रसंस्करण शुल्क	सीमा राशि का 0.40% + लागू कर	(xi)	समीक्षा-प्रसंस्करण शुल्क	सीमा राशि का 0.20% + लागू कर
(xii)	अतिदेय शुल्क	2% प्रति माह + लागू कर (अतिदेय शुल्क केवल अतिदेय राशि पर लागू होते हैं)	(xiii)	प्रतिबद्धता शुल्क	न्यूनतम आवश्यक प्रतिबद्धता से कम अप्रयुक्त राशि पर 1% प्रति वर्ष का शुल्क (वर्तमान में 60%)
(xiv)	समाप्त शुल्क	₹ 1,000 + लागू कर	(xv)	पूर्व-बंदोबस्ती/फौजदारी शुल्क	स्वीकृति सीमा का 4% + लागू कर (यदि इसे किसी अन्य बैंक द्वारा अधिग्रहित किया जाता है)
(xvi)	वित्तीय अनुबंधों का गैर-अनुपालन (यदि कोई हो)	₹ 1,000 + लागू कर	(xvii)	बीमा शुल्क में देरी	₹ 500 + लागू कर
(xviii)	बैंक का नोटिस शुल्क	₹ 100 प्रति नोटिस + लागू कर	(xix)	डुप्लिकेट स्टेटमेंट शुल्क	₹ 100 + लागू कर
(xx)	कानूनी खोज रिपोर्ट शुल्क	₹ 100 + लागू कर	(xxi)	संशोधन शुल्क	बकाया राशि का 0.25%, अधिकतम ₹ 5,000 + लागू कर
(xxii)	रद्दीकरण शुल्क	संवितरण तिथि से रद्दीकरण अनुरोध प्राप्ति तक ₹ 5,000 + ब्याज			

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

जिसको साक्षी मानकर पक्षों ने इस समझौते को ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष को निष्पादित किया है,

a) कंपनी निदेशक मंडल द्वारा _____ को आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यहां _____ की मुहर लगाई गई है। इस बैठक में कंपनी के निदेशक/निदेशकों श्री/श्रीमती _____ और श्री/श्रीमती _____ शामिल हैं, जिन्होंने इसके प्रमाण स्वरूप इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर किए हैं और सचिव/प्राधिकृत व्यक्ति श्री/श्रीमती _____ जिन्होंने इसके प्रमाण स्वरूप इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर किए हैं।	
b) साझेदारी/सीमित देयता भागीदारी नामित उधारकर्ता के भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित 1. _____ 2. _____ 3. _____	
c) व्यक्तिगत / एकल स्वामित्व नामित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित _____	
d) ट्रस्ट/सोसाइटी नामित उधारकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित _____	

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

हस्ताक्षरित और वितरित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा,

श्रीमान श्रीमती।_____

अनुसूची 1

अंतिम उपयोग घोषणा

को,

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,

शाखा एवं शाखा का पता: _____

मैंने/हमने दिनांक _____ के आवेदन/अनुबंध के माध्यम से रु. _____ के लिए आवेदन किया है। उक्त ऋण/सीमा का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:

1. [ ] व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
   - a. ( ) कार्यशील पूंजी की आवश्यकता
   - b. ( ) व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिए गए बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान
   - c. ( ) वाणिज्यिक वाहन खरीद
   - d. ( ) वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद/निर्माण
   - e. ( ) नया व्यवसाय स्थापित करना
   - f. ( ) संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद

2. [ ] घरेलू खपत को पूरा करने के लिए:
   - g. ( ) बच्चों का विवाह
   - h. ( ) बच्चों की शिक्षा
   - i. ( ) उपभोग प्रयोजन हेतु लिए गए बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान:-
   - j. ( ) घर की मरम्मत और नवीनीकरण
   - k. ( ) स्वयं या परिवार की बीमारी पर किया गया व्यय
   - l. ( ) धार्मिक समारोह का प्रदर्शन
   - m. ( ) वाहन खरीद
   - n. ( ) संपत्ति खरीद
   - o. ( ) अन्य उद्देश्य कृपया निर्दिष्ट करें

उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

घोषणा

मैं/हम वचन देते हैं, पुष्टि करते हैं और सहमत हैं कि सुविधा के अंतर्गत निधियों के उपयोग के उद्देश्य को सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी तरीके से नहीं बदला जाएगा या उद्देश्य में ऐसा परिवर्तन केवल शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की पूर्व लिखित अनुमति से ही होगा।

उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

बैंक की टिप्पणी: (केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

_____ के उद्देश्य के लिए _____ रुपये की एलएपी/एचएल स्वीकृत की गई जिसे प्राथमिकता क्षेत्र/गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर _____

तारीख: _____

संवितरण अनुरोध प्रपत्र (केवल सावधि ऋण के लिए लागू)

तारीख:

स्थान:

को,

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,

शाखा एवं शाखा का पता: _____

मैं/हम आपसे अनुरोध करता/करती हूँ/करते हैं कि अनुसूची। में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार मुझे/हमें स्वीकृत रुपये _____ की ऋण राशि का वितरण करें, जैसा कि इस ऋण राशि से अनुसूची। (मुख्य तथ्य विवरण) में उल्लिखित लागू शुल्कों के लिए राशि की कटौती निम्नलिखित तरीके से करने के बाद दिनांक _____ को किया गया था।

1) मेरे ऋण खाता संख्या _____ से राशि _____ डेबिट की जा रही है तथा आपके बैंक में मेरे एसबी/सीए/ओडी खाता संख्या _____ में राशि स्थानांतरित की जा रही है।

(और/या)

2) मेरे ऋण खाता संख्या _____ से डेबिट करके नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से धनराशि स्थानांतरित की जा रही है:

राशि (रु.)		
खाताधारक का नाम		
बैंक का नाम		
शाखा का नाम		
खाता नंबर		
आई०ऍफ़०एस० कोड		
खाते का प्रकार		
एमआईसीआर		

(और/या)

3) मेरे ऋण खाता संख्या _____ से डेबिट करके नीचे दिए गए विवरण के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जारी किया जा रहा है:

राशि (सं.)		
पक्ष में		
बैंक का नाम		
खाता सं.		
देय		

मैं/हम ऋण राशि का उपयोग अनुसूची। और अंतिम उपयोग घोषणा में वर्णित उद्देश्य के लिए करूँगा/करेंगे। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि जब चेक, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जारी करके ऋण वितरित किया जाएगा, तो ब्याज पहली बार भुगतान की तारीख से अर्जित होना शुरू हो जाएगा, और ऐसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर की वसूली से बैंक को कोई सरोकार नहीं होगा।

उधारकर्ता का नाम: _____ **उधारकर्ता का हस्ताक्षर:** _____

सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम: _____ **सह-उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर:** _____

चेक (पीडीसी) जमा करने का फॉर्म *(केवल सावधि ऋण के लिए लागू)*

को,

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,

शाखा एवं शाखा का पता: _____

मैंने/हमने ऋण खाता संख्या _____ के अंतर्गत मेरे/हमारे ऋण वितरण के संबंध में "शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में निम्नलिखित रेखांकित (खाता प्राप्तकर्ता) पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) जमा किए हैं। पीडीसी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	चेक नंबर		तारीख		चेकों की संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम	ईएमआई/ बीपीआई/एसपीडीसी	राशि
	से	को	से	को				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

	नाम	हस्ताक्षर	तारीख
उधारकर्ता			
बैंक अधिकारी			

मांग वचन पत्र

मांग पर, मैं/हम, _____, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

("ऋणदाता") को रुपये _____ की राशि का भुगतान करने या आदेश देने का वादा करता/करती हूँ/करते हैं

(रुपये_____केवल) इस तिथि से

ब्याज सहित, _____% प्रति वर्ष निश्चित/अस्थायी या ऐसी अन्य दर जिसे ऋणदाता समय-समय पर तय कर सकता है, चक्रवृद्धि और

दैनिक/मासिक/त्रैमासिक शेष के साथ प्राप्त मूल्य के लिए देय; इस तिथि से भुगतान की तिथि तक।

उधारकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम और हस्ताक्षर

राजस्व स्टाम्प 1/- रुपये चिपकाया जाना है।

जगह: _____

तारीख:_____

उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को राजस्व पर हस्ताक्षर करना होगाटिकट।

डीपी नोट डिलीवरी पत्र लें

को,

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

_____

_____

_____

("महाजन")

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया संलग्न मांग वचन पत्र दिनांक _____की डिलीवरी लें।_____(रुपये___) मेरे/हमारे द्वारा ऋणदाता के पक्ष में किया गया। मैं/हम इसके द्वारा पूर्वोक्त डी.पी.एन. प्रस्तुत करने के अपने अधिकारों का भी त्याग करता/करती हूँ। मैं/हम आपसे यह भी अनुरोध करता/करती हूँ कि कृपया ध्यान दें कि मैं/हम परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 98(ए) के अनुसार अनादर की सूचना देने से छूट देता/देती हूँ, और मेरे/हमारे द्वारा मांग पर भुगतान न किए जाने की स्थिति में, ऋणदाता मुझे दायित्व से मुक्त किए बिना मुझे/हमें भुगतान के लिए समय देने के लिए स्वतंत्र है (परन्तु बाध्य नहीं है)।

डीपीएन आपके लिए एक सतत सुरक्षा के रूप में कार्य करेगाउक्त ऋण/सीमा के अंतर्गत अंतिम शेष या सभी बकाया राशि की अदायगी के लिए अब या भविष्य में प्रवर्तनीय होगा; और मैं/हम डी.पी.एन. के प्रति उत्तरदायी बने रहेंगे, इस तथ्य के बावजूद कि समय-समय पर उक्त ऋण/सीमा के खाते में किए गए भुगतान से, उक्त ऋण/सीमा को समय-समय पर कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है या यहां तक कि उक्त खाते की शेष राशि क्रेडिट पर हो सकती है।

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____

गारंटी विलेख

यह गारंटी विलेखपर बनाया गया है_____इस पर____के दिन _____, 20_____ (“गारंटी**विलेख”) द्वारा**

अनुसूची II में निर्दिष्ट व्यक्ति (जिन्हें इसके बाद "गारंटर" कहा जाएगा, जिसमें वारिस, निष्पादक और अनुमत समनुदेशिती, जैसा भी मामला हो, शामिल होंगे) के पक्ष में**शिवालिक लघु वित्त बैंक लिमिटेड**,एकंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित बैंकिंग कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जसोला विहार, दिल्ली -110025 में है (इसके बाद "ऋणदाता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ समझा जाएगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं) जबकि _____ दिनांकित ऋण/सीमा समझौते के संदर्भ में ("ऋण/सीमा समझौता") द्वारा निष्पादित किया गया है।

(इसके बाद "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित) ऋणदाता के साथ, ऋणदाता ने उधारकर्ता को अनुसूची I में निर्दिष्ट राशि के लिए ऋण / सीमा का विस्तार करने के लिए सहमति व्यक्त की है (इसके बाद "ऋण / सीमा" के रूप में संदर्भित) ऋण / सीमा समझौते में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए इसमें निर्दिष्ट और निहित नियमों और शर्तों पर।

और जबकि उक्त ऋण/सीमा समझौते में निर्दिष्ट और निहित शर्तों में से एक यह है कि उधारकर्ता ऋणदाता को ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता को देय ब्याज, लागत शुल्क, व्यय और/या अन्य धनराशि के साथ ऋणदाता द्वारा देय भुगतान की गारंटी देने वाली गारंटी प्राप्त करेगा और प्रदान करेगा (जिसे आगे "गारंटीकृत राशि" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

और चूंकि गारंटर, उधारकर्ता के अनुरोध पर तथा उधारकर्ता को पूर्वोक्त ऋण/सीमा प्रदान करने वाले ऋणदाता के प्रतिफल में, इस गारंटी विलेख को ऋणदाता के पक्ष में, इसमें आगे दर्शाई गई शर्तों तथा तरीके से निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब यह अनुबंध यह प्रमाणित करता है कि उपरोक्त आधारों पर विचार करते हुए निम्नलिखित रूप में अनुबंधित और सहमत किया जाता है:

1. उधारकर्ता का दायित्व है कि वह ऋणदाता को गारंटीकृत राशि का भुगतान करे।
2. यदि किसी भी समय ऋणदाता द्वारा उपरोक्त ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता को देय गारंटीकृत राशि के भुगतान में चूक की जाती है, तो गारंटर, मांग किए जाने पर, बिना किसी आपत्ति या विरोध के, अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त ऋणदाता को उस समय देय गारंटीकृत राशि का भुगतान करेगा और ऋणदाता की ओर से किसी भी चूक के कारण ऋणदाता को होने वाले सभी नुकसानों के लिए ऋणदाता को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा। ऋणदाता द्वारा अनुरोध किए जाने पर गारंटर ऋण/सीमा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी सहमत है।
3. भुगतान में देरी होने पर, गारंटर यह पुष्टि करता है कि गारंटर ऋण लेने वाले और ऋणदाता द्वारा सहमत अतिरिक्त ब्याज (जैसा कि ऋण/सीमा समझौते में परिभाषित किया गया है) के साथ देय राशि का भुगतान करेगा।
4. इसमें निहित गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए, ऋणदाता इस प्रकार कार्य करने का हकदार होगा मानो गारंटर ऋणदाता के प्रमुख देनदार हों।
5. ऋण/सीमा समझौते के तहत ऋणदाता के अधिकारों और ऋण/सीमा के लिए अन्य सभी दस्तावेजों (सामूहिक रूप से "लेनदेन दस्तावेज" के रूप में संदर्भित) के बावजूद, ऋणदाता को गारंटीकर्ता(ओं) से उपर्युक्त ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता को देय गारंटीकृत राशि का भुगतान करने के लिए कहने की पूरी स्वतंत्रता होगी, बिना उधारकर्ता से ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता को देय राशि वसूलने की आवश्यकता के और/या ऋणदाता के लिए उपलब्ध किसी भी उपाय या सुरक्षा को लागू करने की आवश्यकता के बिना।
6. ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच किसी भी विवाद के बावजूद, गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और गारंटर के विरुद्ध लागू होगी।
7. गारंटर/गारंटर यह पुष्टि और घोषणा करते हैं कि ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता को किया गया कोई भी शेष राशि की पुष्टि और/या ऋण की स्वीकृति और/या देयता की स्वीकृति या दिया गया वादा, या आंशिक भुगतान, गारंटर/गारंटर/गारंटर/गारंटर/गारंटर/गारंटर द्वारा या उनकी ओर से किया गया माना जाएगा और उन दोनों पर बाध्यकारी होगा। ऋणकर्ता अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अतिरिक्त, 1963 के परिसीमा अधिनियम की धारा 18 और 19 के प्रयोजनार्थ गारंटर के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाला माना जाएगा।
8. गारंटीकर्ता इस बात से सहमत हैं कि लेन-देन दस्तावेजों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन, ब्याज दर में परिवर्तन, ऋण/सीमा के पुनर्भुगतान की तिथि में विस्तार, यदि कोई हो, ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच उधारकर्ता को मुकदमा करने के लिए समय देने या न देने के लिए किए गए समझौते; उधारकर्ता से अधिक सुरक्षा को बदलने या जोड़ने, या उधारकर्ता द्वारा दी गई सुरक्षा को ऋणदाता द्वारा छोड़ने के बावजूद, गारंटीकर्ता को इस गारंटी विलेख के तहत अपने दायित्व से मुक्त या मुक्त नहीं किया जाएगा।
9. गारंटर इस बात से सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि ऋणदाता, गारंटर के खाते में या उसके लाभ के लिए ऋणदाता द्वारा रखे गए सभी धन को समायोजित या सेट-ऑफ करने का हकदार होगा, चाहे वह इन प्रस्तुतियों के तहत गारंटर के दायित्व के निर्वहन और संतुष्टि के लिए हो।
10. गारंटर इस बात से सहमत हैं कि यदि उधारकर्ता दिवालिया हो जाता है, तो ऋणदाता (गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऋण/सीमा से संबंधित पूरी राशि या उसके किसी भाग का भुगतान किए जाने के बावजूद) गारंटर से देय गारंटीकृत राशि की पूरी राशि का भुगतान लागू कर सकता है और वसूल कर सकता है। उपरोक्त घटना घटित होने पर, गारंटर तुरंत ऋणदाता को लिखित रूप में सूचित करेगा।
11. एतद्द्वारा दी गई गारंटी, ऋणदाता द्वारा ली गई प्रतिभूति से स्वतंत्र और भिन्न है, और गारंटीकर्ता(यों) ने यह गारंटी किसी भी समझ, विश्वास या विश्वास के आधार पर नहीं दी है कि ऋणदाता ने ऐसी कोई प्रतिभूति ली है और/या भविष्य में ले सकता है, और यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 140 और 141 या उस अधिनियम की किसी अन्य धारा या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के बावजूद है। ऋणदाता द्वारा किसी भी कारण से, चाहे उसकी चूक और लापरवाही के कारण ही क्यों न हो, प्रतिभूति को लागू करने में विफलता के कारण गारंटीकर्ता(यों) किसी भी सीमा तक उन्मुक्त होने का दावा नहीं करेगा।
12. इस गारंटी विलेख के अंतर्गत दिया गया प्रत्येक नोटिस, मांग या अन्य संचार लिखित रूप में होगा और संबंधित पक्ष को उसके नीचे दिए गए पते या फैक्स नंबर पर दिया जाएगा या भेजा जाएगा। संबंधित पक्ष को संबोधित कोई भी नोटिस, मांग या अन्य संचार दिया गया माना जाएगा।

(i) यदि व्यक्तिगत रूप से या कूरियर द्वारा वितरित किया जाता है, जब वितरण का प्रमाण वितरण करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त किया जाता है;

(ii) यदि उसी देश के भीतर डाक द्वारा भेजा जाता है, तो पोस्ट करने के दसवें दिन और यदि किसी अन्य देश में डाक द्वारा भेजा जाता है, तो पोस्ट करने के बीसवें दिन;

(iii) यदि फैक्स द्वारा दिया गया हो या बनाया गया हो, तो प्रेषण पर तथा उपरोक्त प्रेषण की पुष्टि करने वाली ट्रांसमिशन रिपोर्ट प्राप्त होने पर;

(iv) यदि ईमेल द्वारा दिया गया हो या बनाया गया हो, तो प्रेषक द्वारा प्रेषित किए जाने के बाद और प्राप्तकर्ता(ओं) तक पहुंचा दिए जाने के बाद; और

(v) यदि पंजीकृत डाक द्वारा दिया गया हो, तो प्रेषण की तिथि से 4 (चार) दिनों के भीतर। उपरोक्त सूचना के प्रेषण के अनुसरण में, सूचना भेजने वाला पक्ष, ऋण/सीमा अनुबंध की अनुसूची I में उल्लिखित पतों पर प्राप्तकर्ता पक्ष को संपूर्ण सूचना की विषय-वस्तु भी ईमेल करेगा।

13. यह गारंटी विलेख भारत के कानूनों के अनुसार शासित होगा और उस शहर के सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा जहां ऋणदाता की संबंधित शाखा/कार्यालय स्थित है।
14. उपरोक्त खंड 13 के प्रावधान केवल ऋणदाता के लाभ के लिए हैं। परिणामस्वरूप, ऋणदाता को किसी अन्य अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में किसी विवाद से संबंधित कार्यवाही करने से नहीं रोका जाएगा। कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ऋणदाता किसी भी अधिकार क्षेत्र में समवर्ती कार्यवाही कर सकता है।
15. इस गारंटी विलेख का कोई भी प्रावधान जो लागू क्षेत्राधिकार में निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, ऐसे क्षेत्राधिकार के अनुसार, निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, लेकिन इससे इस गारंटी विलेख के शेष प्रावधान अमान्य नहीं होंगे।

अनुसूची II

गारंटर विवरण						
1.	[ ] कंपनी	**[ ] साझेदारी**	**[ ] सीमित देयता भागीदारी**	**[ ]समाज**	**[ ] ट्रस्ट**	**[ ] एकल स्वामित्व**
ए.	नाम					
बी.	पंजीकृत कार्यालय का पता					
सी.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (यदि कंपनी हो)					
डी.	व्यवसाय स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता					
ई.	सभी का नाम, **[ ] निदेशक** **[ ] भागीदार** **[ ] सदस्य** **[ ] एकमात्र स्वामी**					
एफ.	वह क़ानून जिसके तहत गारंटर को निगमित किया गया था	**[ ] कंपनी**- कंपनी अधिनियम, 1956 / कंपनी अधिनियम, 2013 **[ ] साझेदारी**- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 **[ ] सीमित देयता भागीदारी**- सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 **[ ] समाज**- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 / सहकारी समिति अधिनियम **[ ] ट्रस्ट**- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882				
2.	यदिगारंटरएक व्यक्ति है					
ऐ.i	नाम					
ए.ii	का बेटा / बेटी / पत्नी					
ए.iii	व्यवसाय स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता					
ए.iv	निवास का पता					
बी.i	नाम					
बी.ii	का बेटा / बेटी / पत्नी					
बी.iii	व्यवसाय स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता					
बी.iv	निवास का पता					
3.	किसी अन्य मामले में, नाम, पता और अन्य विवरण					
4	उधारकर्ता और गारंटर के बीच संबंध					

जिसको साक्षी मानकर गारंटर (उपर्युक्त) ने इन प्रस्तुतियों को ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

a) कंपनी निदेशक मंडल द्वारा दिनांक _____ को आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यहां _____ की मुहर लगाई गई है। इस बैठक में कंपनी के निदेशक/निदेशकों श्री/श्रीमती _____ और श्री/श्रीमती _____ शामिल थे, जिन्होंने इसके प्रमाण स्वरूप इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर किए हैं और सचिव/प्राधिकृत व्यक्ति श्री/श्रीमती _____ ने इसके प्रमाण स्वरूप इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर किए हैं।	
b) साझेदारी/सीमित देयता भागीदारी नामित गारंटर के भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित 1. _____ 2. _____ 3. _____	
c) व्यक्तिगत/एकल स्वामित्व नामित गारंटर द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित _____	
d) किसी अन्य मामले में नामित गारंटर द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित _____	

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

हस्ताक्षरित और वितरित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा,

_____

SHIVALIK

Shivalik Small Finance Bank

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 2nd एवं 3rd तल, एड इंडिया टावर, प्लॉट संख्या-ए-6ए, सेक्टर 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश